NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

वार्षिक प्रतिवेदन

2023-24

वार्षिक प्रतिवेदन
2023 -2024

भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

प्रौद्योगिकी

शोध एवं विकास

नवाचार (परिवर्तन)

विषय सूची

पृष्ठ सं.

प्रस्तावना, अध्यक्ष (एनएबी) 4

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) के बारे में 5 -26

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार प्रमाणित वित्तीय विवरण

1. तुलन पत्र - एनएबी के सभी प्रभागों सहित 28
2. आय और व्यय लेखा - एनएबी के सभी प्रभागों सहित 29
3. तुलन पत्र की अनुसूची - एनएबी के सभी प्रभागों सहित 30-43
4. प्राप्ति और भुगतान लेखा - एनएबी के सभी प्रभागों सहित 44-45
5. खातो पर नोट्स - एनएबी के सभी प्रभागों सहित 46-56

एनएबी स्पष्टीकरण के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 57-67

प्रस्तावना

सत्यमेव जयते

श्री कामरान रिजवी
अध्यक्ष (एनएबी)संदेश

सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली-110011

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग 'मेक इन इंडिया' पहल का प्रतीक रहा है। पिछले चार दशकों में, भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने स्वदेशी विनिर्माण का एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। वाहन निर्माताओं के साथ-साथ हजारों कलपुर्जा आपूर्तिकर्ता भारत में ऑटोमोबाइल विनिर्माण की रीढ़ हैं।

ऑटोमोबाइल उद्योग को समर्थन देने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना (नैट्रिप) परियोजना के अंतर्गत आईसीएटी-मानेसर, एआरएआई-पुणे, नैट्रैक्स -इंदौर और जीएआरसी-चेन्नई में विश्व स्तरीय परीक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं, जिनका कुल परियोजना परिव्यय ₹ 3,558.60 करोड़ है।

यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इन परीक्षण केंद्रों के प्रदर्शन को दर्शाती है। नैट्रिप केंद्र आत्मनिर्भर हैं और राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) की देखरेख में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये केंद्र अब भारत में ऑटोमोबाइल के विकास और परीक्षण प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं।

मैं एनएबी टीम और उसके परीक्षण केंद्रों को ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व स्तरीय परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने में सफलता की कामना करता हूं।

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड के बारे में

1. राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक स्वायत्त सोसायटी है, जिसकी स्थापना 2013 में (पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के XXI के तहत संगम ज्ञापन (एमओए) और नियमों एवं विनियमों के साथ की गई थी।

2. सोसाइटी का उद्देश्य ऑटोमोटिव क्षेत्र से तकनीकी और डोमेन विशेषज्ञता को एक मंच पर लाना है। इससे मोटर वाहन उद्योग को प्रभावित करने वाली नीतियों, विनियमों और हस्तक्षेपों को आकार देने में शामिल विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के बीच सहयोग में सुविधा होगी। ऐसा करने से, इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध होगा।

3 सोसाइटी के एमओए में सोसायटी के विस्तृत लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। कुछ प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. मोटर वाहन क्षेत्र से संबंधित डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना। सरकारी नीति और विनियमन तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करने के प्रयोजन से ऐसे डेटा का विश्लेषण करना।

ii. एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों में पालन की जाने वाली परीक्षण प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का मानकीकरण सुनिश्चित करना और परीक्षण केंद्र सह-संबद्ध लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग करना।

iii. किसी भी ऑटोमोटिव परीक्षण और परीक्षण केंद्र विवादों के लिए अपीलीय निकाय होना और एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों द्वारा किए गए प्रमाणन, प्रत्यायन और परीक्षण से संबंधित शिकायतों का निवारण करना।

iv. परीक्षण केंद्रों की ओर से व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों (डीपीआर) को विकसित करना, इन्हें वित्तपोषण एजेंसियों को प्रस्तुत करना और अनुमोदन प्राप्त करना। अनुसंधान एवं विकास परियोजना कार्यान्वयन पर्यवेक्षण, परियोजना निगरानी और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणामों की रिपोर्टिंग का पर्यवेक्षण भी एनएबी द्वारा किया जाएगा।

v. भारी उद्योग संस्थान के अंतर्गत परीक्षण केन्द्रों के कार्यकरण का प्रशासन, निगरानी, समन्वय, विनियमन और सहक्रियाशीलता करना ताकि केन्द्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रदान की जा रही अपेक्षित सेवा गुणवत्ता को बनाए रखने, सुविधाओं की बैंचमार्किंग सुनिश्चित की जा सके।

vi. यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा केंद्रों में सरकार द्वारा किए गए निवेश पर इष्टतम रिटर्न प्राप्त हो।

vii. नई ऑटोमोटिव पहलों, ऑटोमोटिव नीति, सांविधिक अनुपालन, शिकायत निवारण और सीवीसी, लेखापरीक्षा आदि जैसी सरकार की संवैधानिक एजेंसियों से संबंधित मामलों सहित सरकार से प्राप्त संदर्भों के संबंध में एवं उपरोक्त सभी मामलों में परीक्षण-केंद्रों के साथ पर्यवेक्षण, प्रशासन और समन्वय रखना।

viii. क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, लेखा परीक्षा/प्रत्यायन और परीक्षण केंद्रों की आवश्यकताओं का उन्नयन/विस्तार करना।

ix. नैटिस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखना।

x. सरकार अथवा शासी परिषद्, एनएबी द्वारा दी गई किसी भी अन्य जिम्मेदारियों और कार्यों का अनुपालन करना।

xi. शासी परिषद्, एनएबी द्वारा यथाअनुमोदित शुल्क के साथ बाहरी एजेंसियों को परामर्श और विशेषज्ञता प्रदान करना।

xii. राष्ट्रीय / वैश्विक परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों, उद्योग संघों, मोटर वाहन नीति निर्माण, परीक्षण, होमोलोगेशन, विनियम, प्रमाणन, मान्यता, अनुसंधान एवं विकास और नई पहल से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम करना।

4. सोसायटी के नियमों और विनियमों के संदर्भ में, शासी परिषद एक शासी निकाय है, जिसे सोसायटी का प्रबंधन सौंपा गया है। पंजीकरण के उद्देश्य से शासी परिषद् का गठन आठ सदस्यों के साथ किया गया था जिसका प्रतिनिधित्व अब सोसाइटी के निम्नलिखित 'सदस्य वर्गों' के 24 सदस्यों द्वारा किया जाता है:

- साधारण सदस्य;
- कार्यात्मक सदस्य;
- सदस्य केंद्र;
- संबद्ध सदस्य;
- मनोनीत सदस्य;
- मानद सदस्य;

शासी परिषद की वर्तमान संरचना (नवंबर, 2022 के उपरांत)

1.	सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय- अध्यक्ष, एनएबी
2.	अपर सचिव और वित्त सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय
3.	अपर सचिव (ऑटो), भारी उद्योग मंत्रालय
4.	कार्यात्मक सदस्य, एनएबी
5.	अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)
6.	अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)
7.	निदेशक (एमकेटी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)
8.	अध्यक्ष, स्केल समिति
9.	प्रबंध निदेशक और सीईओ, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल)
10.	निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय और निदेशक (एफपीसीएएल), एनएबी, (सदस्य सचिव, एनएबी)
11.	प्रबन्धक निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय और निदेशक (ओएएडीएम), एनएबी
12.	अध्यक्ष, सियाम
13.	अध्यक्ष, एसीएमए
14.	अध्यक्ष टीएमए
15.	अध्यक्ष, एआरएआई
16.	डॉ. अनीश शाह, सीईओ और प्रबंध निदेशक, महिंद्रा समूह
17.	श्री शैलेश चंद्रा, प्रबंध निदेशक, टाटा मोटर्स
18.	श्री सौमित्र भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक, बॉश लिमिटेड
19.	श्री दीपक जैन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ल्यूमैक्स

20.	श्री गोपाल महादेवन, निदेशक, स्ट्रैटेजिक वित्त, अशोक लीलैंड
21.	श्री कवन मुख्तयार, पार्टनर एवं लीडर-ऑटोमोटिव, पीडब्लूसी इण्डिया
22.	निदेशक – आईकैट
23.	निदेशक – नैट्रैक्स
24.	निदेशक – जीएआरसी

5. सोसायटी के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथाअनुमोदित कर्मी संख्या पच्चीस है, जिसमें संयुक्त सचिव के स्तर पर तीन सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

6. सोसायटी की भूमिका और प्रमुख कार्यों को इसके नियमों और विनियमों में निम्नानुसार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है:

   i. **प्रमुख कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ परीक्षण केंद्रों के कामकाज का प्रशासन, अनुवीक्षण, समन्वय, विनियमन और तारतम्य स्थापित करना, क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, परीक्षण केंद्रों द्वारा एनएबी को प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण और होमोलोगेशन प्रमाण-पत्र जारी करना। ऑटो नीति से संबंधित मुद्दों के लिए सलाह, तकनीकी इनपुट और सचिवालय सहायता प्रदान करने हेतु तकनीकी डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता का भंडार बनाना, ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण आदि के क्षेत्र में कौशल सेट और दक्षताओं का विकास करना।

   ii. **मुख्य कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीतियां तैयार करना और परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन करना, ऑटोमोबिल क्षेत्र में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित पहलों और समग्र मुद्दों की देखभाल करना, नए वाहन मूल्यांकन कार्यक्रम (एनवीएपी) की डिजाइन और प्रशासन, ऑटोमोटिव क्षेत्र से संबंधित डेटा के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना और विश्लेषण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीनस्थ सड़क सुरक्षा बोर्ड के साथ सहयोग करना, उपकर निधि परियोजनाओं, परीक्षण सुविधा आयोजना, परीक्षण केंद्र की तैयारी के लिए उन्नयन और विस्तार, परीक्षण केंद्र सह-संबंध लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समन्वय करना करना शामिल हैं। परीक्षण संबंधी किसी भी विवाद के लिए अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करना, उभरती मोटर वाहन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में जनशक्ति क्षमता का विकास करना, उद्योग और शिक्षा (एमओयू और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम) के साथ विनिमय का सशक्तिकरण और संवर्धन करना।

   iii. **सुविधा प्रदानकारी कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वाहनों और संघटकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड के रूप में कार्य करना और प्रत्यायित परीक्षण एजेंसियों द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर वाहनों और संघटकों के लिए प्रमाण-पत्र जारी करना, विनियमों के अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य को अपनाने के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन, मानकों, जनहितकारी सूचना का विनियमन और प्रकाशन, ऑटोमोटिव के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विनियामक प्रणाली का संवर्धन शामिल हैं।

   iv. इसके अलावा, एनएबी, एनएटीआईएस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखेगा।

7. एनएबी 2021 में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के पूरा होने के बाद, नैट्रिप के तहत विकसित निम्नलिखित परीक्षण केंद्रों की निगरानी और प्रशासन कर रहा है। ये केंद्र अब पूरी तरह कार्यात्मक हैं। एनएबी के तहत परीक्षण केंद्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

I. **इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट), मानेसर, हरियाणा:** इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट) राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी), भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक अग्रणी विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण, प्रमाणन, होमोलोगेशन और अनुसंधान व विकास सेवा प्रदाता केंद्र है। आईकैट को मोटर वाहन और उसके घटकों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सीएमवी नियम 126 के तहत एक अधिकृत परीक्षण एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने आईकैट को उत्सर्जन और ध्वनि प्रकार अनुमोदन और जनरेटर सेटों के सीओपी के लिए एक अधिकृत परीक्षण केंद्र के रूप में अधिसूचित किया है। नियामक परीक्षणों के अलावा, आईकैट ऑटोमोटिव और गैर-ऑटोमोटिव विकास के सभी क्षेत्रों में उद्योग को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे- पावरट्रेन, शोर कंपन और कठोरता, संघटक, फटीग, फोटोमिट्री, टायर और पहिया, निष्क्रिय सुरक्षा, ईएमसी, सीएडी और सीएई।

आईकैट परिसर-2, मानेसर

i) यह केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:

- शोर कंपन और कठोरता (एनवीएच)
- संघटक विकास

शोर कंपन और कठोरता (एनवीएच)

ii) आईकैट ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न गतिविधियां पूरी की हैं:

(क) **अनुसंधान एवं विकास परियोजनाए:** आईकैट की NVH प्रयोगशाला ने रक्षा मंत्रालय की ओर से भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के विमानों के लिए बेंचमार्किंग अभ्यास आयोजित करने वाली पहली और एकमात्र नागरिक एजेंसी के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया है। यह पहल रूसी हथियारों को नए आपूर्तिकर्ताओं के साथ बदलने के प्रयास का हिस्सा है। लैब ने कई विमानों का परीक्षण किया है, जिनमें एमआइजी-29 के (नौसेना), एमआइ-17के (नौसेना), जगुआर और सुखोई शामिल हैं।

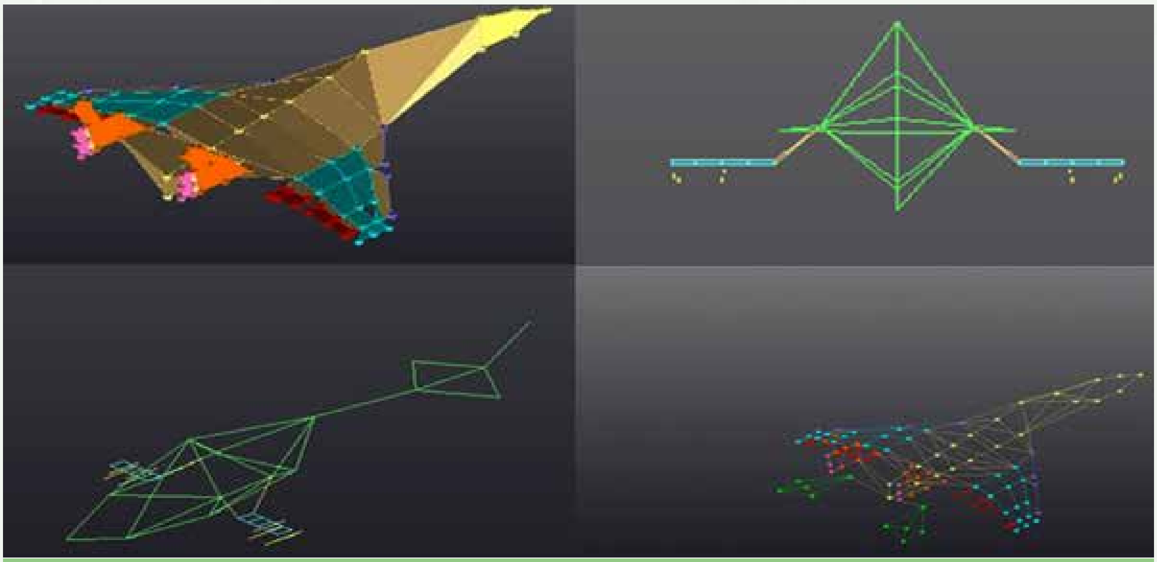

भारतीय वायु सेना के लिए आयोजित बेंचमार्किंग अभ्यास की झलक

(ख) आईकैट ने थकान परीक्षण के लिए विभिन्न लोडिंग स्थितियों का अनुकरण करने के लिए अद्वितीय फिक्स्चर को सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया है। इन फिक्स्चर का उपयोग वाणिज्यिक वाहनों के बोगी ब्रैकेट, यात्री कारों के सबफ्रेम और विभिन्न शॉक परीक्षण स्थितियों के तहत रेलवे घटकों जैसे महत्वपूर्ण घटकों के परीक्षण के लिए किया जा सकता है। यह नवाचार इन आवश्यक वाहन और रेलवे भागों की स्थायित्व और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आईकैट की क्षमता को बढ़ाता है।

(ग) आईकैट ने मत्स्य विभाग (डीओएफ) के लिए 'समुद्री दोहरे ईंधन इंजन परीक्षण' पर एक आरएंडडी परियोजना शुरू की, जिसमें समुद्री अनुप्रयोगों में वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस परियोजना में केरोसिन से चलने वाले इंजन को सीएनजी/एलपीजी का उपयोग करके दोहरे ईंधन प्रणाली में परिवर्तित करना शामिल था, जिसमें 9.9 एचपी इंजन पर प्रारंभिक परीक्षण संतोषजनक परिणाम देते थे। आईकैट अब दोहरे ईंधन वाले समुद्री इंजनों के लिए एक प्रणाली और प्रक्रिया दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए विभिन्न डीओएफ संस्थानों (एसआईएफएफएस, सीआईसीईएफ, सीआईएफएनईटी, आदि) के साथ सहयोग कर रहा है। इस पहल में वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने वाले सभी आउटबोर्ड मोटर्स (ओबीएम) को प्रमाणित करने के लिए मानक निर्धारित करने की क्षमता है।

(घ) आईकैट की ईटीएल टीम ने 850 किलोवाट तक की पावर रेटिंग वाले पीएनजी इंजनों के परीक्षण के लिए इन-हाउस मोबाइल प्रेशर रिडक्शन सिस्टम विकसित किया है। इससे पहले, आईसीएटी में पीएनजी इंजनों के परीक्षण में समर्पित कम दबाव वाली गैस पाइपलाइन की कमी के कारण बाधा उत्पन्न हुई थी, जिससे संभावित राजस्व हानि और व्यावसायिक अवसरों का नुकसान हुआ। यह नई प्रणाली सभी एनजी इंजनों (सीएनजी/पीएनजी) के परीक्षण की अनुमति देती है, जिन्हें 0 MBARG से 70 MBARG

के बीच ईंधन सेवन दबाव की आवश्यकता होती है । 600 किलोवाट तक की रेटेड शक्ति वाले इंजनों पर पहले ही कई परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं, और यह प्रणाली 850 किलोवाट तक के इंजनों का समर्थन करने में सक्षम है।

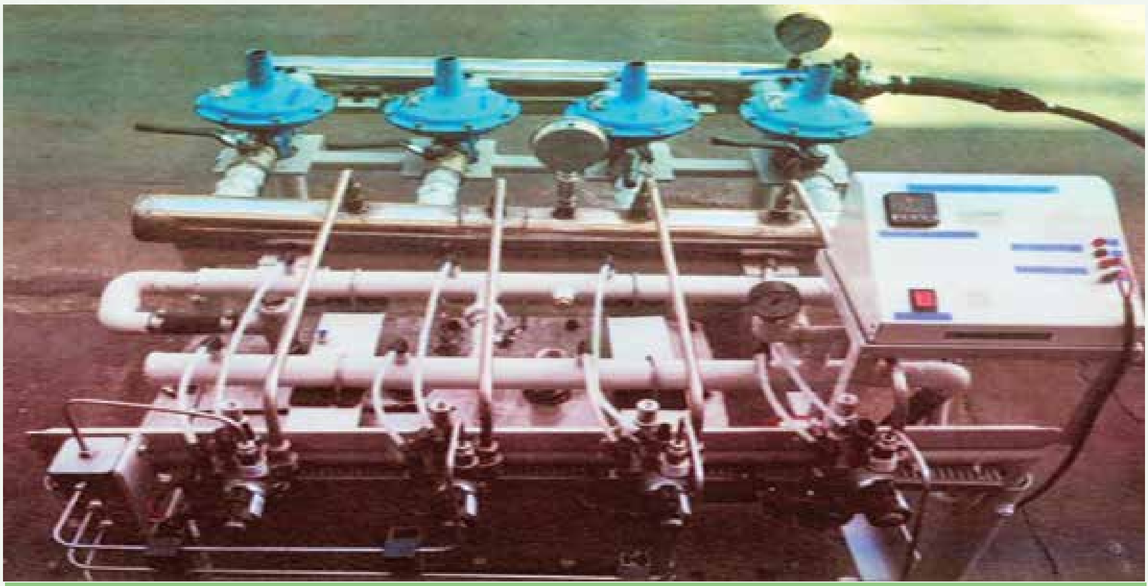

पीएनजी इंजनों के परीक्षण के लिए घरेलू स्तर पर विकसित मोबाइल दबाव न्यूनीकरण प्रणाली

(ङ) आईकैट की एनवीएच लैब ने 2.5 मेगावाट तक की इकाइयों का परीक्षण करने में सक्षम एक इन-हाउस परीक्षण सुविधा विकसित की है, जो घरेलू परीक्षण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जून 2023 में, लैब ने सफलतापूर्वक जेनसेट का परीक्षण किया, जिसे तब से भारतीय नौसेना के जहाजों (आईएनएस) और मर्चेंट नेवी के जहाजों पर एकीकृत किया गया है। इस परियोजना में आईकैट में फैक्ट्री एक्सेप्टेंस ट्रायल (एफएटीएस) शामिल थे, जिसे नौसेना डिजाइन निदेशालय (डीएनडी) के अधिकारियों ने देखा था। एक उल्लेखनीय आकर्षण भारत में पहली बार 15 टन के जेनसेट पर 30 डिग्री तक के झुकाव के साथ किया गया झुकाव परीक्षण था , जिसे डीएनडी अधिकारियों ने भी देखा। अगली परियोजना के लिए चर्चाएँ पहले से ही चल रही हैं।

iii) **महत्वपूर्ण मील का पत्थर:**

(क) अप्रैल 2023 से, आईकैट ने सीपीसीबी-IV+ जेनसेट विनियमन के लिए कुल 31 प्रमाणपत्र जारी किए हैं, जो जेनसेट्स के लिए कड़े उत्सर्जन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।

(ख) आईकैट ने उच्च ऊंचाई सिमुलेशन - दहन वायु हैंडलिंग इकाई के साथ मिलकर इंजन कैलिब्रेशन परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो दो प्रमुख मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को सेवा प्रदान करती है। यह परियोजना इंजन ट्यूनिंग और प्रदर्शन अनुकूलन में आईकैट की क्षमता को रेखांकित करती है।

(ग) आईकैट ने एन1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और चेन्नई मेट्रो की एयर कंडीशनिंग इकाइयों के डिजाइन और दक्षता का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए कंप्यूटर-सहायता इंजीनियरिंग (सीएई) विश्लेषण किया।

(घ) आईकैट ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित सर्जिकल रोबोट का परीक्षण किया, जो चिकित्सा रोबोटिक्स में देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

(ङ) आईकैट ने विदेशी निर्माताओं की यात्री कार के लिए 100 से अधिक डिजाइन सत्यापन योजना (डीवीपी) परीक्षण किए।

(च) गतिशीलता क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और नवाचार को बढ़ाने के लिए, आईसीएटी और आईआईटी रुड़की ने 4 अगस्त, 2024 को एडीएएस प्रौद्योगिकी सहित अगली पीढ़ी की गतिशीलता के लिए प्रौद्योगिकी विनिमय और अनुसंधान एवं विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

(छ) आईकैट ने आइआरसी67 और 79, एएसटीएम 4956, डी 4280 और एम.ओ.आर.टी.एच मानकों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा उत्पादों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे सड़क अवसंरचना के लिए उच्च सुरक्षा और गुणवत्ता मानक सुनिश्चित हुए। इसके अतिरिक्त, डीजीसीए की आवश्यकताओं के अनुसार आईकैट ने आइसीएओ अनुलग्नक 14 के अनुसार एयरफील्ड लैंप का परीक्षण किया।

iv) **स्पर्धाएँ :**

(क) आईकैट द्वारा 20 और 21 अप्रैल 2023 को "प्रकाश पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी (आईएसओएल-2023)" के 7 वें संस्करण का आयोजन किया गया। 700 से अधिक पेशेवरों की भागीदारी के साथ, आईएसओएल -2023 का उद्घाटन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, ऑटोमोटिव ओईएम, लैंप निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं के उधोग जगत के नेताओं और शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया।

आईएसओएल-2023 का 7वां संस्करण 20 और 21 अप्रैल, 2023 को आयोजित किया गया

(ख) दो दिवसीय आईएसओएल-2023 कार्यक्रम में बुद्धिमान और ऊर्जा-कुशल ऑटोमोटिव लाइटिंग, एड्एस् और ईएमसी चुनौतियों जैसे विषयों पर 34 तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में 'लाइटिंग और एड्एस' और 'ईवी के लिए लाइटिंग' पर विशेषज्ञ पैनल चर्चाएँ, ऑटोमोटिव लाइटिंग डिजाइन और नवाचार में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाला एक पुरस्कार समारोह और 30 से अधिक प्रदर्शकों के साथ एक प्रदर्शनी शामिल थी, जिसमें क्षेत्र में प्रगति और नवाचार को बढ़ावा दिया गया। कार्यक्रम का अनूठा आकर्षण अत्याधुनिक ऑटोमोटिव लाइटिंग तकनीक का ट्रैक प्रदर्शन था।

(ग) आईकैट ने 6 जून 2023 को आईकैट-सैन्टर 2 मानेसर हरियाण में 'ऑटोमोटिव सड़क सुरक्षा और वाहन आग की घटनाओं में सुधार' पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने दुर्घटना विश्लेषण, चोट बायोमैकेनिक्स और वाहन अग्नि जांच पद्धतियों में प्रगति पर चर्चा की, और इसमें ऑटोमोटिव सुरक्षा के भारतीय परिप्रेक्ष्य और ओईएम की भूमिका पर एक पैनल चर्चा भी शामिल थी।

(घ) आईकैट ने 11 सितंबर, 2023 को आईकैट सेंटर-1 में 'विश्व ईवी दिवस' मनाया, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन नवाचार और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चर्चाएँ और गतिविधियाँ शामिल थीं।

(ङ) मोशन इन कंट्रोल इवेंट का तीसरा संस्करण आईकैट द्वारा एसएई-एनआईएस के सहयोग से 21 और 22 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने उद्योग के विशेषज्ञों और उत्साही लोगों को ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों में नवीनतम विकास का पता लगाने और चर्चा करने के लिए एक साथ लाया।

(च) 7 दिसंबर, 2023 को आईकैट के सहयोग से मेसर्स आयरा द्वारा एडीएएस शो-2023 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. हनीफ कुरैशी, मौजूद थे। इस कार्यक्रम में उद्योग विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सत्र, वरिष्ठ नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं के साथ पैनल चर्चा और उन्नत एडीएएस प्रौद्योगिकियों का लाइव प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम ने अभिनव चालक सहायता प्रणालियों के माध्यम से ऑटोमोटिव सुरक्षा को आगे बढ़ाने में आईकैट की प्रमुख भूमिका को रेखांकित किया।

v) **तकनीकी पेपर प्रकाशन:** आईकैट ने निम्नलिखित शोध पत्र प्रकाशित किए हैं:

उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली शो - 2023

(क) एसएई इंटरनेशनल पेपर नंबर 2024-26-0385 के अनुसार वाहन परीक्षण के लिए आउट्रिगर डिजाइन और विकास

(ख) यात्री कार वाहन के लिए रैक और पिनियन स्टीयरिंग गियर असेंबली का डिजाइन और विकास (एसएई इंटरनेशनल पेपर संख्या 2024-26-0350)

(ग) खनन डोजरों के लिए त्वरित पावरट्रेन स्थायित्व चक्र का विकास। (एसएई पेपर))

II. **वैश्विक मोटरवाहन अनुसंधान केंद्र (जीआरसी) चेन्नई, तमिलनाडु:** वैश्विक मोटरवाहन अनुसंधान केंद्र (जीआरसी) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक प्रमुख परीक्षण एजेंसी है जो व्यापक परीक्षण, सत्यापन और प्रमाणन के माध्यम से मोटरवाहन उद्योग को आगे बढ़ाने को समर्पित है। जीएआरसी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित, सीएमवी नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण केंद्रों में से एक है। जीएआरसी ने सीएमवीआर के अनुसार उद्योगों को संघटकों के लिए टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। ऑटोमोटिव अनुसंधान और विकास पारितंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, जीएआरसी वाहनों और उनके घटकों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से कई प्रकार की सेवा सुविधाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय- दोनों विनियमों के साथ ऑटोमोबिल की समग्र विश्वसनीयता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मूल्यांकन, उत्सर्जन परीक्षण और निष्पादन आकलन शामिल हैं।

जीएआरसी,चेन्नई

i) केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:

- विद्युत-चुम्बकीय अंत:क्षेप और विद्युत-चुम्बकीय संगतता (ईएमसी/ईएमआई)
- उन्नत निष्क्रिय सुरक्षा (एपीएसएल)
- इन्फोट्रॉनिक्स

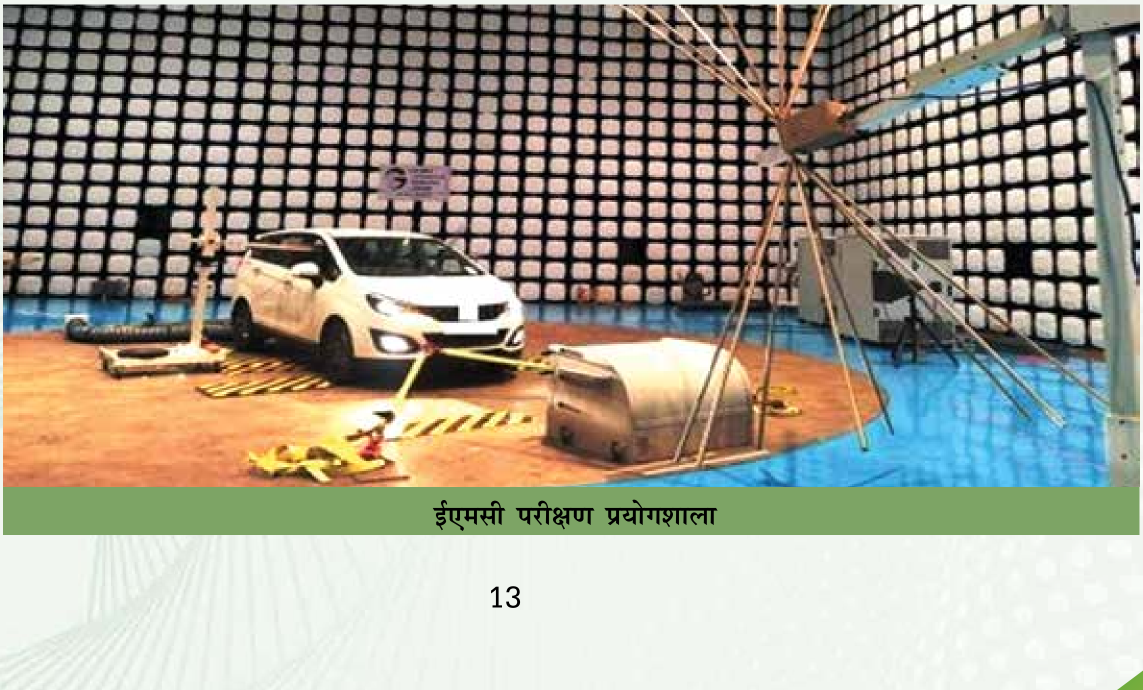

ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला

ii) वैश्विक मोटरवाहन अनुसंधान केंद्र ऑटोमोबाइल निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को परीक्षण और मूल्यांकन सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान कर रहा है। जीएआरसी तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के पास ओरागदम में ऑटोमोटिव उद्योग के दक्षिणी केंद्र के भीतर विभिन्न ऑटोमोबाइल घटकों और सुविधाओं की सुरक्षा, प्रदर्शन और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए उन्नत परीक्षण उपकरण और पद्धतियों का उपयोग करता है जीएआरसी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ पूरी की हैं:

(क) **टेस्ट ट्रैक:** डॉ. हनीफ कुरैशी, अपर सचिव (ऑटो), एमएचआई ने हमारे टेस्ट ट्रैक क्षेत्र में वाटर वेड ट्रैक का उद्घाटन किया। यह सुविधा किसी वाहन की पानी पर चलने की क्षमता का परीक्षण या मूल्यांकन करने के लिए विकसित की गई है, विशेष रूप से ऑफ-रोड या चुनौतीपूर्ण ड्राइविंग स्थितियों के संदर्भ में.

वाटर वेड ट्रैक - जीएआरसी में उद्घाटन

(ख) **विश्व ईवी-दिवस (एकेएएम कार्यक्रम के तहत):** जीएआरसी ने 9 सितंबर 2023 को विश्व ईवी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया है। इस कार्यक्रम में ऑटोमोटिव उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नालेज पार्टनर के रूप में एसएई इंडिया के सहयोग से, ऑटो क्विज, पोस्टर प्रेजेंटेशन और पेपर प्रेजेंटेशन के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें शिक्षाविदों ने इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी और रुझानों पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। इलेक्ट्रिक वाहन उपकरण और सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताओं के विभिन्न वक्ताओं ने तकनीकी सत्रों के भाग के रूप में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के रुझानों और चुनौतियों पर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए।

जीएआरसी में विश्व ईवी दिवस (9 सितम्बर 23) मनाया गया

(ग) **मोशन इन कंट्रोल:** जी.ए.आर.सी. ने एसएई इंडिया के साथ मिलकर मोशन इन कंट्रोल का तीसरा संस्करण आयोजित किया, जिसमें उन्नत ड्राइवर सहायक प्रणाली (एडीएएस) पर प्रकाश डाला गया। इसमें नवीनतम ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों पर विशेषज्ञ वार्ता और जीएआरसी टेस्ट ट्रैक पर अडास का प्रदर्शन शामिल है।.

मोशन इन कंट्रोल तीसरा संस्करण

घ. **व्यावसायिक विकास कार्यक्रम:** जी.ए.आर.सी. ने एसएई इंडिया के सहयोग से 21 से 23 मार्च 2024 के दौरान ईवी प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति और विकास पर केंद्रित पीडीपी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे व्यावसायिक विकास और उद्योग सहयोग को बढ़ावा मिला।

ङ. **समझौता ज्ञापन:** एमएचआई के अंतर्गत एनएबी का एक प्रभाग ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (जी.ए.आर.सी.) ने आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी एंड टेलीकम्युनिकेशंस (सीईईटी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन एक सहयोगात्मक प्रयास

की शुरुआत का प्रतीक है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों में नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक-दूसरे की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाना है।

आईआईटी मद्रास में सीईईटी के साथ समझौता ज्ञापन

च. **पीएलआई विभाग:** जीएआरसी सभी परीक्षण केंद्रों में से पहला है जिसने भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से मेसर्स सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड को 'कंपोनेंट चौंपियन' की श्रेणी में पहला उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) प्रमाण पत्र जारी किया है। यह प्रमाण पत्र भारी उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. हनीफ कुरैशी (आईपीएस) द्वारा 23 फरवरी 2024 को मेसर्स सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड की वरिष्ठ प्रबंधन टीम को प्रदान किया गया।

मेसर्स सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड को पहला पीएलआई प्रमाणपत्र

छ. **एडवांस पैसिव सेफ्टी लैब (एपीएसएल):** जी.ए.आर.सी. क्रैश टीम ने 9300 किलोग्राम द्रव्यमान और 50 किमी प्रति घंटे की गति वाले वाहन के साथ अपनी तरह का पहला पूर्ण फ्रंटल क्रैश परीक्षण सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया।

एपीएसएल का पहला पूर्ण-फ्रंटल क्रैश परीक्षण

ज. **इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण प्रयोगशाला (ईवी):** 9 फरवरी 2024 को, जीएआरसी ने ईवी सुरक्षा पर एक सम्मेलन की मेजबानी की जिसमें ऑटो उद्योग और शिक्षा जगत से 130 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय बाजार में ईवी की बढ़ती पैठ के मद्देनजर इलेक्ट्रिक वाहनों के सुरक्षा पहलुओं पर प्रकाश डालना था। उद्योग सहयोग के साथ बैटरी प्रदर्शन और जीवन चक्र परीक्षण इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन स्तर के मानक और प्रदर्शन परीक्षण विकसित किए गए।

झ. **मानव संसाधन एवं प्रशासन:** हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग के कारण ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर को राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में सी-श्रेणी में रखा गया है। भारी उद्योग मंत्रालय के हिंदी विभाग के प्रयासों से अब जीएआरसी के पच्चीस परसेंट कर्मचारी हिंदी में बात कर सकते हैं। जी.ए.आर.सी. ने सितंबर 2023 में पुस्तकालय में हिंदी अनुभाग खोला है।

ञ. **होमोलोगेशन:** जी.ए.आर.सी. ने 350 से अधिक प्रकार की अनुमोदन रिपोर्टें जारी कीं। जी.ए.आर.सी.ने उच्च गति वाले इलेक्ट्रिक वाहनों और उच्च गति वाले आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों के लिए अपना पहला प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी किया

III. **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक (नैट्रेक्स) इंदौर-मध्यप्रदेश :** नैट्रेक्स केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम संख्या 126 के तहत एक अधिसूचित परीक्षण एजेंसी है। नैट्रेक्स नैट्रिप के तहत अत्याधुनिक ऑटोमोटिव परीक्षण, अनुसंधान और विकास तथा प्रमाणन केंद्रों में से एक है। नैट्रेक्स के पास व्यापक परीक्षण सुविधा है और यह ऑटोमोटिव उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर वाहन गतिशीलता, प्रमाणन और अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के विकास के लिए परीक्षण ट्रैक और वाहन गतिकी प्रयोगशाला (वीडीवाई), जो उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के साथ मे विकसित हुई है, इन जैसी अपनी जमीनी सुविधाओं के माध्यम से एकल केंद्र समाधान प्रदान करता है। नैट्रेक्स प्रूविंग ग्राउंड्स भारतीय और वैश्विक मानकों के अनुसार 2/3 पहिया वाहनों से लेकर भारी वाणिज्यिक वाहनों तक सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए विश्वस्तरीय व्यापक वाहन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करता है। नैट्रेक्स भारत सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के परीक्षण, प्रमाणन और विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं भी स्थापित कर रहा है। नैट्रेक्स देश में सड़क सुरक्षा बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए क्रैश बैरियर परीक्षण सुविधा स्थापित करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया है। इसी तरह, सड़क सुरक्षा के लिए एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (एडीएएस) सुविधाओं का परीक्षण भी शुरू हो गया है।

नैट्रेक्स, इंदौर

i) केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:

- वाहन गतिकी (वीडीवाई)

वाहन गतिकी (वीडीवाई)

ii) नैट्रेक्स-वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ पूरी की है।

(क) माननीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने 27 सितंबर 2023 को नैट्रैक्स का दौरा किया। इस दौरे में मंत्री के साथ एमएचआई के निदेशक (ऑटो) श्री राजेश सिंह भी थे। माननीय मंत्री ने उन क्षेत्रों की समीक्षा की जिनमें नैट्रैक्स आगे बढ़ सकता है और ऑटो उद्योग तथा देश की जरूरतों को पूरा कर सकता है।

माननीय भारी उद्योग मंत्री का नैट्रैक्स दौरा

माननीय भारी उद्योग मंत्री द्वारा नैट्रैक्स में वृक्षारोपण

ख. भारी उद्योग मंत्री के संयुक्त सचिव श्री विजय मित्तल द्वारा 27 जनवरी 2024 को एक नए ईवी 2/3-व्हीलर चेसिस डायनो का उद्घाटन किया गया, जो नैट्रैक्स के लिए नैट्रैक्स में हाई स्पीड ईवी 2/3-व्हीलर परीक्षण और प्रमाणन करने के लिए एक प्रमुख विकास करता है।

ग. विशेष रिकॉर्ड स्थापित करने वाले कार्यक्रम: फरवरी 2023 में नैट्रैक्स में इलेक्ट्रिक वाहन 'पिनिनफेरिना बतिस्ता' द्वारा 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑटोकार मैगजीन द्वारा किया गया था। 358.03 किमी प्रति घंटे की उच्चतम गति का रिकॉर्ड बनाया गया, जिसने पहले से स्थापित 332.2 किमी प्रति घंटे के शीर्ष गति रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 358.03 किमी प्रति घंटे की शीर्ष गति भारत में किसी भी ईवी वाहन के लिए सबसे अधिक है। कुल मिलाकर, भारतीय धरती पर 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए:

नैट्रैक्स में नये विश्व रिकॉर्ड स्थापित	
358.03 किमी प्रति घंटा	भारतीय धरती पर नया शीर्ष गति रिकॉड
358.03 किमी प्रति घंटा	भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए नया उच्चतम गति रिकॉड
357.10 किमी प्रति घंटा	भारतीय महिला ड्राइवर का नया विश्व रिकॉड
10.49 सेकंड में 0-300 किमी प्रति घंटा	नई उत्पादन कार विश्व रिकॉड
8.55 सेकंड में ¼ मील	नई उत्पादन कार विश्व रिकॉड

विशेष रिकॉर्ड स्थापित करने वाले कार्यक्रम

घ. नैट्रैक्स के हाई स्पीड ट्रैक पर एक शानदार स्पीड एंड्योरेंस राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित हुआ, जब तीन बाइकों ने 152 किमी प्रति घंटे की औसत गति से 24 घंटे में 3652.9 किलोमीटर की प्रभावशाली दूरी तय की।

गति सहनशक्ति राष्ट्रीय रिकॉर्ड

ड. 17-18 फरवरी 2024 को नैट्रैक्स में इवो इंडिया के सहयोग से वोक्सवैगन इंडिया द्वारा चार नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए गए। निम्नलिखित रिकॉर्ड स्थापित किए गए:

- 24 घंटे में तय की गई अधिकतम दूरी का राष्ट्रीय रिकॉर्ड (कुल मिलाकर): वी डब्लू वर्टस जी टी, 4654.48 किमी
- 24 घंटे में तय की गई अधिकतम दूरी का राष्ट्रीय रिकॉर्ड (सेडान): वी डब्लू वर्टस जी टी, 4654.48 किमी
- 24 घंटे में तय की गई अधिकतम दूरी का राष्ट्रीय रिकॉर्ड (एसयूवी): वीडब्ल्यू ताइगुन 1.0, 4423.82 किमी
- 24 घंटे में सर्वोत्तम ईंधन दक्षता का राष्ट्रीय रिकॉर्ड (टर्बो पेट्रोल इंजन): वीडब्ल्यू ताइगुन 1.0, 29.8 किमी/लीटर

च. 14 अगस्त 2023 को हिंदी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया और संविदा सहित सभी कर्मचारियों के लिए नैट्रैक्स में राजभाषा पर एक वेबिनार आयोजित किया गया।

छ. नैट्रैक्स परिसर में खेल सुविधाएँ लाता है। खेल सुविधाओं में इनडोर खेलों के साथ-साथ कुछ आउटडोर खेल भी शामिल हैं। नैट्रैक्स में खेल-सांस्कृतिक शुरुआत नैट्रैक्स और ग्राहकों की टीमों के बीच नवनिर्मित क्रिकेट मैदान में आयोजित एक दोस्ताना क्रिकेट मैच के साथ हुई।

ज. वन टीम के सहयोग से बोमा तकनीक (जंगली जानवरों को सामूहिक रूप से पकड़ने की एक दक्षिण अफ्रीकी तकनीक) का उपयोग करते हुए नैट्रैक्स से 48 संख्या नील गायों को पकड़ा गया और इन जानवरों को सुरक्षित रूप से मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया।

नैट्रैक्स में नीलगाय और वन टीम

झ. बाजा एसएई इंडिया का 17वां संस्करण 10-13 जनवरी 2024 के दौरान नैट्रैक्स में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। नैट्रैक्स में बाहा का आयोजन 2007 से किया जा रहा है। इसके बाद, वर्ष 2015 में नैट्रैक्स में बाहा का इलेक्ट्रिक संस्करण भी शुरू किया गया और इस वर्ष 2024 में, बाहा के हाइड्रोजन और स्वायत्त संस्करण को भी नैट्रैक्स के जंगली, बीहड़ और चुनौतीपूर्ण इलाकों से शुरू किया गया।

बाजा एसएईइंडिया का 17वां संस्करण

ञ. नैट्रैक्स ने एटीएस के साथ सहयोग किया और नैट्रैक्स में एक उन्नत एडीएएस लैब की स्थापना की, जो परीक्षण पथों पर सभी। एडीएएस परीक्षण आवश्यकताओं (विकास और विनियामक) को पूरा करेगी।

ट. मार्च 2024 तक, नैट्रैक्स ईवी लैब 80 ई-रिक्शा और 90 बैटरियों का परीक्षण और प्रमाणन करने में सक्षम थी, जिसे लैब संचालन के एक वर्ष से भी कम समय में हासिल किया गया था।

ठ. वर्ष के दौरान, नैट्रैक्स ने नैट्रैक्स में 100 क्रैश-बैरियर परीक्षण करने की उपलब्धि हासिल की, जो भारत में सड़क सुरक्षा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

ड. नैट्रैक्स ने मई, 2023 में ऑटोमोटिव अनुसंधान और सड़क सुरक्षा के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

ढ. नैट्रैक्स ने 12 मई 2023 को स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करके ट्रैक रखरखाव के लिए आईआईएसईआर भोपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

ण. नैट्रैक्स ने 8 जून 2023 को एडीएएस के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए आईआईटी-हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

त. रियल ड्राइव एमिशन सिस्टम के लिए आईएंडसी अक्टूबर 2023 में पूरा हो गया।

थ. ट्रक ट्रेलर पर कार्यशाला 21 अप्रैल 2023 को 25 प्रतिभागियों के साथ ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी।

द. पीएलआई योजना पर कार्यशाला 28 अप्रैल 2023 को 30 प्रतिभागियों के साथ ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी।

ध. नैट्रैक्स ने गर्व से 15 अगस्त 2023 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया । 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान के तहत सभी कर्मचारियों ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा करने की शपथ ली। इस अवसर पर कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए 2023-24 की पहली तिमाही के लिए कर्मचारी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

न. नैट्रैक्स ने 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया - डिजाइन थिंकिंग दृष्टिकोण का उपयोग करके एक पुल निर्माण प्रतियोगिता की योजना बनाई गई, जिसमें कर्मचारियों ने बहुत उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। यह एक मजेदार तरीके से सीखने का एक अद्भुत अभ्यास साबित हुआ।

IV. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव निरीक्षण, अनुरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएआईएमटी) सिलचर-असम : एनआईएआईएमटी-सिलचर असम राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित है। एनआईएआईएमटी पूर्वोत्तर और देश के पूर्वी भाग का एकमात्र केंद्र है। एनआईएआईएमटी-सिलचर के क्रमशः जाफिरबॉन्ड और ढोलचेरा में 20 एकड़ और 60 एकड़ के दो परिसर हैं। इसकी तीन प्रमुख गतिविधियां (1) ऑटोमोटिव ड्राइविंग प्रशिक्षण (2) यांत्रिकी प्रशिक्षण और (3) स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण के क्षेत्र में हैं।

जाफिरबॉन्ड परिसर

i) इसका अधिकांश बुनियादी ढांचा जाफिरबॉन्ड में स्थित है। धोलचेरा में सुविधा के लिए 1 किलोमीटर लंबा पहाड़ी ट्रैक है। एनआईएआईएमटी वर्ष 2011 से स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण सुविधा के साथ चालू हुआ, जबकि बाकी सुविधा 2013 में पूरी हो गई थी। एनआईएआईएमटी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ पूरी कर ली हैं।:

क. ऑटोमोटिव ड्राइविंग ट्रेनिंग के तहत ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (डीटीआई) एलएमवी फ्रेशर, एचएमवी और रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए स्व-प्रायोजित श्रेणी के तहत नियमित ड्राइविंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। वित्त वर्ष 23-24 में एलएमवी के तहत कुल 119 और एचएमवी के 3 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। एलएमवी के 119 उम्मीदवार हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य ड्राइवरों को प्रशिक्षण के वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके प्रशिक्षित करना है जिससे सड़क सुरक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार हो।

ख. एनआईएआईएमटी सिलचर की स्वचालित परीक्षण सुविधा में बराक घाटी के तीन जिलों (कछार - 8727, करीमगंज - 2315 और हैलाकांडी - 2969) में अप्रैल से मार्च (वित्त वर्ष 2023-24) तक 14011 वाणिज्यिक वाहनों का वाहन फिटनेस परीक्षण किया गया है, साथ ही एनआईएआईएमटी-सिलचर द्वारा करीमगंज और हैलाकांडी जिले में 2 मोबाइल फिटनेस स्टेशन भी तैनात किए गए हैं।

हैलाकांडी जिले में मोबाइल लेन पर परीक्षण

ग. पीएमवीके परियोजना के तहत कारपेंटर जॉब रोल के लिए 37 उम्मीदवारों (एनएसडीसी द्वारा प्रायोजित) का प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 दिवसीय आरपीएल कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023-24 में मैकेनिक्स ट्रेनिंग (एमटीआई) के तहत सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। सभी उम्मीदवारों को उनके संबंधित कार्यस्थल में उनके तकनीकी कार्यों में उपयोग के लिए तकनीकी सहायता के रूप में एनएसडीसी से हैंड टूल्स किट (विभिन्न प्रकार के औजारों सहित) प्रदान किए गए।

पीएमवीके परियोजना के तहत बढ़ई की नौकरी पर प्रशिक्षण सत्र

8. एनएबी कार्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक भाग के रूप में 21 जून, 2023 को योग दिवस मनाया। इसके अलावा, कर्मचारियों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, वार्म अप अभ्यास किया गया और सभी कर्मचारियों ने बैठकर और खड़े होकर आसन किए, साथ ही इनका महत्व भी समझाया गया।

योग दिवस का उत्सव

9. एनएबी ने 23 मई 2023 से 5 जून 2023 के दौरान मिशन लाइफस्टाइल जागरूकता गतिविधि मनाई, जिसमें विभिन्न गतिविधियाँ जैसे कि खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिए छोटे समूह चर्चा, वृक्षारोपण का महत्व, ड्राइंग प्रतियोगिता, कार्यालय कर्मचारियों के बीच पौधों का वितरण और शपथ ग्रहण आदि शामिल हैं।

मिशन लाइफस्टाइल जागरूकता गतिविधि

10. एनएबी के सभी परीक्षण केंद्र पूरी तरह कार्यात्मक और आत्मनिर्भर हैं तथा उद्योग को विश्व स्तरीय परीक्षण, होमोलोगेशन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा अपने परिचालन राजस्व से अधिशेष उत्पन्न कर रहे हैं।

11. सोसाइटी वर्तमान में अपने सभी परीक्षण केंद्रों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) के लिए परीक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह प्रयास मोटर वाहन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

वित्तीय सूचना

2023-2024

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र
31 मार्च, 2024 को

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2024 को	31.03.2023 को
कॉर्पस/पूंजी निधि एवं देयताएं			
कॉर्पस फंड/पूंजी फंड	1	-	-
आरक्षित एवं अधिशेष	2	744,37,18,114	521,61,64,174
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	1347,74,13,429	1519,65,54,824
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	571,21,00,000	611,65,00,000
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	280,54,87,404	320,70,67,485
कुल		**2943,87,18,948**	**2973,62,86,483**
संपतियां			
अचल संपत्तियां	8	18,10,51,68,241	20,02,25,60,584
निवेश-निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-
निवेश-अन्य	10	20,26,84,973	2,88,88,470
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि।	11	11,13,08,65,733	9,68,48,37,429
विविध व्यय (जहां तक बट्टे खाते में न डाला गया हो या समायोजित न किया गया हो)			
कुल		**2943,87,18,948**	**2973,62,86,483**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्	25		

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
(सीए. मुकेश छाजेड़)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 24096778BKCZCH7125

Sd/-
प्रबंधक वित्त
एनएबी

Sd/-
निदेशक (एम एच आई)
एवं लुकिंग आफ्टर
निदेशक एफपीसीएएल, एनएबी

Sd/-
सीसीए, एम एच आई
एवं लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

दिनांक: 10-07-2024
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

आय एवं व्यय लेखों का विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	3,52,23,68,560	2,86,74,40,569
अनुदान/सब्सिडी	13	1,81,13,88,946	1,00,05,05,654
शुल्क/सदस्यता	14	64,04,602	-
निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/अनुदानित निधि से, निधि में स्थानांतरित)	15	1,39,60,134	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय.	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	46,57,86,435	27,01,47,051
अन्य आय	18	1,03,92,959	81,76,824
तैयार माल और प्रगति पर काम के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
कुल (क)		**583,03,01,636**	**414,62,70,098**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	73,95,16,238	72,07,78,722
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	89,78,88,395	81,08,83,071
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय।	22	-	50,23,573
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में कुल शुद्ध राशि-अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	2,01,04,26,020	2,23,22,91,068
कुल (ख)		**364,78,30,653**	**376,89,76,434**
शेष राशि व्यय से आय का आधिक्य (क-ख)		2,18,24,70,982	37,72,93,664
ईवी ग्रांट में स्थानांतरण		(4,50,82,959)	-
अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में स्थानांतरण		-	(11,58,083)
अनुसंधान एवं विकास आरक्षित निधि में स्थानांतरण		6,19,66,218	5,61,93,918
दावा न किए गए आरक्षित निधि में स्थानांतरण		-	(51,069)
एनएबी में स्थानांतरण		-	
शेष राशि अतिरिक्त अधिशेष/(घाटा) आरक्षित एवं अधिशेष/कॉर्पस निधि में ले जाई जाती है		**216,55,87,723**	**32,23,08,898**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्	25		

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
(सीए. मुकेश छाजेड़)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 24096778BKCZCH7125

Sd/-
प्रबंधक वित्त
एनएबी

Sd/-
निदेशक (एम एच आई)
एवं लुकिंग आफ्टर
निदेशक एफपीसीएल, एनएबी

Sd/-
सीसीए, एम एच आई
एवं लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

दिनांक: 10-07-2024
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2024 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 1- कॉर्पस/पूंजी निधि		
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	-	-
जमा : कॉर्पस/पूंजी निधि में योगदान	-	-
जोड़ें/(घटाएं) : आय और व्यय खाते से स्थानांतरित शुद्ध आय/(व्यय) का शेष	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-
अनुसूची संख्या 2- आरक्षित एवं अधिशेष		
व्यय पर आय का आधिक्य/(आय पर व्यय का आधिक्य)		
पिछले खातों के अनुसार	4,88,28,40,435	5,87,38,92,533
जोड़ें: आरक्षित एवं अधिशेष में स्थानांतरण	-	(1,31,33,60,996)
जोड़ें: वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष	2,16,55,87,723	32,23,08,898
कम: परीक्षण केंद्रों को आवंटित	0	-
	7,04,84,28,158	**4,88,28,40,435**
संपत्ति कोष		
पिछले खातों के अनुसार	12	12
वर्ष के दौरान वृद्धि		
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	12	**12**
आर एंड डी रिजर्व फंड		
पिछले खातों के अनुसार	31,92,63,267	26,30,69,349
वर्ष के दौरान वृद्धि	6,19,66,218	5,61,93,918
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	38,12,29,485	**31,92,63,267**
अप्राप्त आरक्षित निधि		
पिछले खातों के अनुसार	1,40,60,459	1,41,11,528
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	-	51,069
	1,40,60,459	1,40,60,459
कुल	**7,44,37,18,114**	**5,21,61,64,174**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2024 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 3- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि		
क 1) मांग प्रोत्साहन वितरण तंत्र (डीआईडीएम) निधि (अनुसूची 25 की नोट संख्या 9 देखें)	-	-
क) फंड का प्रारंभिक शेष	2,85,33,510	20,62,96,275
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	-	
i. दान/अनुदान	-	9,90,00,00,000
ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय	-	-
iii. अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-
ग) डीआईडीएम अनुदान प्राप्य	-	-
कुल (क 1)	**2,85,33,510**	**10,10,62,96,275**
ख 1) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय		
i. पूंजीगत व्यय		
-अचल संपत्तियां	-	-
-अन्य	-	-
ii. राजस्व व्यय	-	-
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि।	-	-
किराया	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-
डीआईडीएम फंड के लिए भुगतान किया गया व्यय	50,83,325	10,50,77,07,454
घटाएँ: पिछले वर्ष देय अनुदान का प्रत्यावर्तन		(72,08,87,689)
डीआईडीएम फंड के लिए देय व्यय	-	29,09,43,000
कुल (ख 1)	**50,83,325**	**10,07,77,62,765**
कुल (क 1-ख 1)	**2,34,50,185**	**2,85,33,510**
क 2) नैट्रिप अनुदान/परियोजना निधि जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के लिए परीक्षण सुविधा अवसंरचना हेतु निधि शामिल है		
क) फंड का प्रारंभिक शेष	15,16,80,21,313	14,84,15,30,077
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि/परीक्षण केंद्रों को आवंटित		
i. दान/अनुदान	-	-
ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय	-	-
iii. अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-
ग) घटाएँ: भारत सरकार को ईवी अनुदान की वापसी (अनुसूची 25 की नोट संख्या 4 देखें)	26,37,46,129	-
घ) घटाएँ: ईवी अनुदान का आवंटन-स्वयं निधि (बचत)	4,50,82,959	-
ङ) जोड़ें: एआरएआई का ऋण कोष, अनुदान कोष से गलत तरीके से काटा गया	40,44,00,000	-
च) जोड़ें: आरक्षित एवं अधिशेष में स्थानांतरण	-	1,31,33,60,996
कुल (क 2)	**15,26,35,92,225**	**16,15,48,91,073**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2024 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ख (2) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय		
i. पूंजीगत व्यय		
अचल संपत्तियां (नैट्रिप परियोजना परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए एएस-12 के अनुसार आस्थगित अनुदान) (अनुसूची 25 की नोट संख्या 5 देखें)	1,33,90,17,217	98,68,69,760
अचल संपत्तियां (नैट्रिप परियोजना परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए एएस-12 के अनुसार पूर्व अवधि आस्थगित अनुदान) (अनुसूची 25 की नोट संख्या 5 देखें)	47,06,11,764	-
अन्य	-	
ii. राजस्व व्यय	-	
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि।	-	
किराया	-	
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	
कुल (ख 2)	**1,80,96,28,981**	**98,68,69,760**
कुल (क 2-ख 2)	**13,45,39,63,244**	**15,16,80,21,313**
कुल (निर्धारित/बंदोबस्ती निधि)	**13,47,74,13,429**	**15,19,65,54,824**
अनुसूची संख्या 4- सुरक्षित ऋण और उधार		
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएँ	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अर्जित एवं देय ब्याज	-	-
4. बैंक	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अर्जित एवं देय ब्याज	-	-
ग) अन्य ऋण	-	-
घ) अर्जित एवं देय ब्याज	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. अन्य	-	-
अनुसूची सं. 5-असुरक्षित ऋण और उधार (अनुसूची 25 के नोट सं. 3 देखें)		
1. केन्द्र सरकार	6,11,65,00,000	-
घटाएँ: अराई को आवंटित ऋण	(40,44,00,000)	-
कम: परीक्षण केंद्रों को आवंटित ऋण	5,71,21,00,000	6,11,65,00,000
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएँ	-	-
4. बैंक	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. फिक्स्ड डिपॉजिट	-	-
8. अन्य	-	-
कुल	**5,71,21,00,000**	**6,11,65,00,000**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2024 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 6- आस्थगित ऋण देयताएं		
क) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्ति के बंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृति	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-
अनुसूची संख्या 7- वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
7 (क) वर्तमान देयताएं		
1. स्वीकृतियां	-	
2. विविध लेनदार	-	
क) माल के लिए	-	
ख) अन्य के लिए	10,21,23,172	25,45,34,589
3. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	42,25,41,255	49,54,38,409
4. ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	-	
क) सुरक्षित ऋण/उधार	-	
ख) असुरक्षित ऋण/उधार	-	
5. वैधानिक दायित्व	-	
क) अतिदेय	-	
ख) अन्य	5,25,50,983	2,64,69,001
6. अन्य चालू देयताएं	-	
क) अनुसंधान एवं विकास व्यय हेतु देय अनुदान	-	
ख) देय व्यय	9,11,52,150	7,77,41,381
ग) प्रतिधारण धन	17,57,15,215	46,39,66,313
घ) भारत सरकार को देय तरलता क्षति	-	7,31,20,813
ङ) सुरक्षा और बयाना राशि जमा सहित अन्य देयताएं	93,47,55,754	78,77,48,259
च) अर्जित ब्याज जो भारत सरकार को देय है (अनुसूची 25 की नोट संख्या 12 देखें)	5,35,98,951	5,36,81,643
छ) अर्जित ब्याज जो देय है-अन्य (अनुसूची 25 की नोट संख्या 12 देखें)	55,58,39,746	45,39,78,011
कुल (क)	**2,38,82,77,225**	**2,68,66,78,419**
7 (ख) प्रावधान		
1) कराधान के लिए	-	-
2) ग्रेच्युटी	17,25,99,055	4,34,10,807
3) सेवानिवृत्ति/पेंशन	2,43,68,266	2,36,77,466
4) संचित अवकाश नकदीकरण	11,12,02,075	3,69,02,726
5) व्यापार वारंटी/दावे	-	-
6) वर्ष के अंत में देय डीआईडीएम अनुदान के लिए प्रावधान	-	29,09,43,000
कुल (ख)	**30,81,69,396**	**39,49,33,999**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2024 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
7 (ग) अन्य परियोजना अनुदान		
क) स्थापना एवं अवसंरचना निधि (अनुसूची 25 की नोट संख्या 10 देखें)		
प्रारंभिक जमा	10,28,92,318	1,26,62,720
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	10,00,00,000
घटाएँ: वर्ष के दौरान किया गया व्यय	17,59,965	97,70,404
	10,11,32,353	**10,28,92,316**
ख) एनएमईएम, एनएबी और अन्य नई पहल	3,016	3,016
ग) डीसीसीएआई - नोडल एजेंसी फंड	65,05,414	2,08,99,000
घ) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं-प्राप्त राशि-संचालन शेष (अनुसूची 25 की नोट संख्या 14 देखें)	16,60,736	28,18,819
घटाएँ: वर्ष के दौरान किया गया व्यय/अनुदान की वापसी	2,60,736	11,58,083
	14,00,000	**16,60,736**
कुल (ग)	**10,90,40,783**	**12,54,55,068**
कुल चालू देयताएं और प्रावधान (क +ख +ग)	**2,80,54,87,404**	**3,20,70,67,485**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अचल संपत्तियों की अनुसूची-8

31 मार्च, 2024 को

अनुसूची-8 क-राजस्व निधि

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
	वर्ष की शुरुआत में लागत/मूल्यांकन (01.04.2023)	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन (31.03.2024)	वर्ष की शुरुआत में (01.04.2023)	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक कुल (31.03.2024)	वर्तमान वर्ष के अंत तक (31.03.2024)	पिछले वर्ष के अंत तक (31.03.2023)
ए. अचल संपत्ति										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टाधृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. इमारतें:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	35,78,89,777	-	-	35,78,89,777	12,31,23,692	2,34,76,609	-	14,66,00,302	21,12,89,475	23,47,66,084
ख) पट्टे पर दी गई भूमि पर	1,15,24,049	1,20,11,634	-	2,35,35,684	27,07,463	21,19,160	-	48,26,623	1,87,09,061	88,16,586
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) इकाई से संबंधित न होने वाली भूमि पर अधिसंरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. प्लांट मशीनरी और उपकरण	1,83,61,29,234	4,30,05,540	(26,98,098)	1,87,64,36,677	98,65,14,554	13,26,59,670	(24,61,068)	1,11,67,13,156	75,97,23,521	84,96,14,681
4. वाहन	4,51,14,858	6,49,684	(11,07,874)	4,46,56,668	2,74,37,815	27,32,479	(5,29,557)	2,96,40,737	1,50,15,932	1,76,77,043
5. फर्नीचर फिक्स्चर	8,10,06,691	19,57,506	(11,03,413)	8,18,60,785	4,22,70,567	39,60,955	(2,55,799)	4,59,75,723	3,58,85,061	3,87,36,125
6. कार्यालय उपकरण	18,49,36,704	1,26,45,849	(93,405)	19,74,89,148	8,19,05,068	1,69,31,397	(47,791)	9,87,88,674	9,87,00,473	10,30,31,636
7. कंप्यूटर/उपकरण	8,08,97,617	1,66,15,601	(1,86,263)	9,73,26,955	5,77,66,123	1,49,22,512	(85,084)	7,26,03,551	2,47,23,404	2,31,31,494
8. विद्युत प्रतिष्ठान	9,74,03,254	-	-	9,74,03,254	5,53,04,331	63,14,838	-	6,16,19,169	3,57,84,085	4,20,98,923
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ट्यूबवेल और डब्ल्यू.सप्लाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य अचल संपत्तियां-ढीले उपकरण	6,01,807	-	-	6,01,807	6,01,807	-	-	6,01,807	-	-
12. पूंजी आरक्षित के अंतर्गत परिसंपत्तियां (एआरएआई)- 12 / 1 रुपये प्रत्येक	12			12	-	-		-	12	12
चालू वर्ष का कुल योग	**2,69,55,04,003**	**8,68,85,813**	**(51,89,053)**	**2,77,72,00,766**	**1,37,76,31,418**	**20,31,17,623**	**(33,79,299)**	**1,57,73,69,742**	**1,19,98,31,015**	**1,31,78,72,578**
बी. पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-		-						**1,77,75,972**	**1,35,18,351**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अचल संपत्तियों की अनुसूची-8

31 मार्च, 2024 को

अनुसूची-8ख – नैट्रिप परियोजना (अनुदान) निधि जिसमें ईवी अनुदान भी शामिल है'''

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
	वर्ष की शुरुआत में लागत/मूल्यांकन (01.04.2023)	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन (31.03.2024)	वर्ष की शुरुआत में (01.04. 2023)	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक कुल (31.03. 2024)	वर्तमान वर्ष के अंत तक (31.03.2024)	पिछले वर्ष के अंत तक (31.03.2023)
ए. अचल संपत्ति										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड	1,69,09,33,435	-	-	1,69,09,33,435	-	-	-	-	1,69,09,33,435	1,69,09,33,435
ख) पट्टाधृत	65,73,56,682	-	-	65,73,56,682	34,89,557	-	-	34,89,557	65,38,67,125	65,38,67,125
2. इमारतें:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	1,98,80,28,164	-	-	1,98,80,28,164	1,12,65,31,077	8,61,49,709	-	1,21,26,80,786	77,53,47,378	86,14,97,088
ख) पट्टे पर दी गई भूमि पर	14,11,67,91,168	79,76,713	-	14,12,47,67,881	5,98,61,26,827	79,88,45,814	-	6,78,49,72,641	7,33,97,95,240	8,13,06,64,340
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) इकाई से संबंधित न होने वाली भूमि पर अधिसंरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. प्लांट मशीनरी और उपकरण**	7,67,03,49,960	37,00,000	-	7,67,40,49,960	4,70,48,35,280	44,96,67,333	-	5,15,45,02,613	2,51,95,47,346	2,96,55,14,680
4. वाहन	68,43,301	-	-	68,43,301	42,46,298	3,89,550	-	46,35,848	22,07,453	25,97,003
5. फर्नीचर फिक्स्चर	1,28,89,756	-	-	1,28,89,756	40,81,524	8,80,516	-	49,62,040	79,27,716	88,08,232
6. कार्यालय उपकरण	55,97,398	-	-	55,97,398	37,89,038	2,71,255	-	40,60,293	15,37,105	18,08,360
7. कंप्यूटर/उपकरण	33,93,17,096	-	-	33,93,17,096	33,22,84,506	28,13,038	-	33,50,97,543	42,19,553	70,32,590
8. विद्युत प्रतिष्ठान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ट्यूबवेल और डब्ल्यू.सप्लाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल योग	**26,48,81,06,960**	**1,16,76,713**	**-**	**26,49,97,83,673**	**12,16,53,84,106**	**1,33,90,17,215**	**-**	**13,50,44,01,321**	**12,99,53,82,351**	**14,32,27,22,855**
बी. पूंजीगत कार्य प्रगति पर									**51,82,54,372**	**52,62,31,087**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अचल संपत्तियों की अनुसूची-8

31 मार्च, 2024 को

अनुसूची-8ग - नैट्रिप परियोजना (ऋण) निधि

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
	वर्ष की शुरुआत में लागत/मूल्यांकन (01.04.2023)	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन (31.03.2024)	वर्ष की शुरुआत में (01.04.2023)	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक कुल (31.03.2024)	वर्तमान वर्ष के अंत तक (31.03.2024)	पिछले वर्ष के अंत तक (31.03.2023)
ए. अचल संपत्ति										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टाधृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. इमारतें:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	61,05,74,019	-	-	61,05,74,019	23,29,74,173	3,77,59,986	-	27,07,34,159	33,98,39,860	37,75,99,846
ख) पट्टे पर दी गई भूमि पर	2,43,10,14,547	-	-	2,43,10,14,547	67,67,53,569	17,38,30,766	-	85,05,84,334	1,58,04,30,212	1,75,42,60,978
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) इकाई से संबंधित न होने वाली भूमि पर अधिसंरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. प्लांट मशीनरी और उपकरण	2,66,17,26,927	-	-	2,66,17,26,927	95,78,25,566	25,57,32,402	-	1,21,35,57,967	1,44,81,68,959	1,70,39,01,361
4. वाहन	87,84,507	-	-	87,84,507	23,30,979	9,68,029	-	32,99,008	54,85,499	64,53,528
5. फर्नीचर फिक्स्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. कंप्यूटर/उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. विद्युत प्रतिष्ठान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ट्यूबवेल और डब्ल्यू.सप्लाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल योग	**5,71,21,00,000**	**-**	**-**	**5,71,21,00,000**	**1,86,98,84,286**	**46,82,91,182**	**-**	**2,33,81,75,468**	**3,37,39,24,531**	**3,84,22,15,713**
बी. पूंजीगत कार्य प्रगति पर									**-**	
चालू वर्ष का कुल योग (सीडब्ल्यूआईपी सहित) (8ए+8बी+8सी)	**34,89,57,10,963**	**9,85,62,526**	**(51,89,053)**	**34,98,90,84,439**	**15,41,28,99,810**	**2,01,04,26,020**	**(33,79,299)**	**17,41,99,46,531**	**18,10,51,68,241**	**20,02,25,60,584**
पिछले वर्ष की कुल अचल संपत्तियाँ (प्रशासनिक)	**2,64,77,56,012**	**9,57,89,456**	**1,15,29,286**	**2,73,20,16,182**	**1,19,21,77,000**	**21,82,86,240**	**(89,87,994)**	**1,40,14,75,246**	**1,33,05,40,936**	**1,45,55,79,014**
पिछले वर्ष की कुल अचल संपत्तियाँ (नैट्रिप परियोजना संपत्तियाँ)	**31,50,59,13,535**	**65,77,81,246**	**-**	**32,16,36,94,781**	**11,99,74,19,749**	**2,01,40,04,815**	**-**	**14,01,14,24,564**	**18,15,22,70,217**	**19,50,84,93,786**

नोट: *उपरोक्त परिसंपत्तियां सोसायटी द्वारा एआरएआई-आरसीएन के अधिग्रहण के समय नि:शुल्क अधिग्रहित की गई हैं तथा प्रत्येक का अंकित मूल्य 1 रुपए दर्शाया गया है।

**प्लांट मशीनरी और उपकरण की लागत में ईवी फंड के तहत खरीदी गई प्लांट मशीनरी और उपकरण के लिए 60.12 करोड़ रुपये का सकल मूल्य शामिल है।

***एनएटीआरआईपी परियोजना (अनुदान निधि) परिसंपत्तियों में 3.65 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें प्रशासनिक परिसंपत्तियों के तहत आवंटित किया गया था और एनएटीआरआईपी परियोजना के तहत खरीदा गया था।

*एनएटीआरआईपी परियोजना (अनुदान निधि) परिसंपत्तियों पर वर्ष के प्रारंभ में मूल्यह्रास में संशोधित आंकड़ा 47.06 करोड़ रुपये शामिल है तथा इसे एनएटीआरआईपी परियोजना (ऋण निधि) परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास से घटाया गया है, जिसे पिछले वर्ष गलत तरीके से आवंटित किया गया था।

****एनएटीआरआईपी परियोजना (अनुदान निधि) परिसंपत्तियों पर वर्ष के आरंभ में मूल्यह्रास के रूप में परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालने की लागत के रूप में 14.51 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी।

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2024 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 9-निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य	-	-
कुल	**-**	**-**
अनुसूची संख्या 10-निवेश-अन्य		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (एलआईसी के साथ ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण निधि)	20,26,84,973	2,88,88,470
कुल	**20,26,84,973**	**2,88,88,470**
अनुसूची संख्या 11- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि।		
11 (क)-वर्तमान परिसंपत्तियां		
1. इन्वेंटरी		
क) स्टोर और स्पेयर्स	2,33,32,427	1,32,15,363
ख) ढीले उपकरण		
ग) स्टॉक इन ट्रेड		
- तैयार माल		
- काम चालू		
- कच्चा माल		
2. विविध देनदार		
क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	9,36,68,484	4,56,82,982
ख) अन्य	83,25,57,563	83,87,49,606
3. हाथ में नकद शेष	10,876	37,472
4. बैंक बैलेंस		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाता	1,47,26,845	2,55,81,612
- जमा खाता	824,66,66,151	643,62,46,867
- बचत खाता	37,64,44,627	89,20,09,873
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाता	-	
- जमा खाता	-	-
- बचत खाता	-	
5. डाकघर बचत खाता	-	
कुल (क)	**9,58,74,06,972**	**8,25,15,23,775**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2024 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ख. ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य		
1. ऋण	-	-
क) कर्मचारी	1,33,79,382	1,79,93,001
ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएं	-	-
2. अन्य अग्रिम एवं प्राप्य	-	-
क) सरकारी प्राधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं के पास जमा	6,28,52,729	1,93,99,700
ख) स्रोत पर कर कटौती प्राप्य	99,21,18,831	91,34,31,235
ग) इनपुट जीएसटी प्राप्य	8,76,19,354	95,44,573
घ) पूर्वभुगतान व्यय	2,50,43,810	2,09,75,420
ङ) मोबोलाइजेशन एडवांस	2,77,536	2,77,536
च) विविध अग्रिम एवं प्राप्य	4,92,04,751	22,27,91,165
2. अग्रिम राशि और अन्य राशियाँ जो प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य हैं:	-	-
क) पूंजी खाते पर	-	-
ख) पूर्व भुगतान पर	-	-
ग) अन्य	-	-
3. अर्जित आय:	-	-
क) निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि से निवेश पर	-	-
ख) निवेश पर	-	-
ग) ऋण और अग्रिम पर	-	-
ङ) अन्य (जमा पर अर्जित ब्याज)	31,29,62,367	22,89,01,024
4. प्राप्य दावे	-	-
कुल (ख)	**1,54,34,58,760**	**1,43,33,13,654**
कुल (क +ख)	**11,13,08,65,733**	**9,68,48,37,429**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 12-बिक्री/सेवाओं से आय		
1. बिक्री से आय	-	-
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्श शुल्क	-	-
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
ङ) परीक्षण सेवाओं से आय	352,23,68,560	286,74,40,569
कुल	**352,23,68,560**	**286,74,40,569**
अनुसूची संख्या 13- अनुदान/सब्सिडी		
1. केन्द्र सरकार	-	38,65,490
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय	-	-
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6) नैट्रिप परियोजना परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए पूर्व अवधि आस्थगित अनुदान	47,06,11,764	-
6) नैट्रिप परियोजना परिसंपत्तियों और स्थापना एवं बुनियादी ढांचे के व्यय पर मूल्यह्रास के लिए आस्थगित अनुदान	134,07,77,182	99,66,40,164
कुल	**1,81,13,88,946**	**1,00,05,05,654**
अनुसूची संख्या 14- शुल्क/सदस्यता		
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता	-	-
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	64,04,602	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य	-	-
कुल	**64,04,602**	-
अनुसूची संख्या 15- निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/प्रदान की गई निधि से निधि में स्थानांतरित)		
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-
2) लाभांश		
क) शेयरों पर	-	-
ख) म्यूचुअल फंड पर	-	-
3) किराया	-	-
4) अन्य (एलआईसी के साथ ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण निधि पर)	1,39,60,134	-
कुल	**1,39,60,134**	**-**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 16- रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य	-	-
कुल	-	-
अनुसूची संख्या 17- अर्जित ब्याज		
1) सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	44,34,31,942	20,93,95,014
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	
ग) संस्थाओं के साथ	-	
घ) अन्य	-	
2) बचत खाते पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	1,38,63,933	2,22,51,641
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	
ग) संस्थाओं के साथ	-	
घ) अन्य	-	
3. ऋण पर	-	
क) कर्मचारी/स्टाफ	11,92,889	12,38,667
ख) अन्य	-	
4. देनदारों और अन्य प्राप्य पर ब्याज	85,382	7,10,182
5. आयकर रिफंड पर ब्याज	72,12,289	3,65,51,547
कुल	**46,57,86,435**	**27,01,47,051**
अनुसूची संख्या 18- अन्य आय		
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) स्वामित्व वाली संपत्ति	-	52,152
ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त संपत्तियां	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त हुआ	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय		
क) विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	14,86,468	10,56,242
ख) विविध आय	89,06,491	49,46,208
ग) पूर्व अवधि की आय	-	21,22,222
कुल	**1,03,92,959**	**81,76,824**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 19- तैयार माल और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)		
1) समापन स्टॉक		
क) तैयार माल	-	-
ख) कार्य प्रगति पर	-	-
2. कम प्रारंभिक स्टॉक		
क) तैयार माल	-	-
ख) कार्य प्रगति पर	-	-
कुल	-	-
अनुसूची संख्या 20- स्थापना व्यय		
क) वेतन एवं मजदूरी	47,84,17,054	53,06,27,369
ख) भत्ते और बोनस	41,76,726	92,20,956
ग) भविष्य निधि में अंशदान	5,21,03,109	4,96,21,483
घ) अन्य निधि में योगदान	6,650	7,272
ङ) कर्मचारी कल्याण निधि	8,03,21,662	4,65,72,343
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवा समाप्ति लाभ पर व्यय	9,28,76,268	6,16,42,849
छ) अन्य	3,16,14,769	2,30,86,450
कुल	**73,95,16,238**	**72,07,78,722**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 21- अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) खरीदारी	-	-
ख) श्रम और प्रसंस्करण व्यय	-	-
ग) कार्टेज और कैरिज इनवर्ड	-	-
घ) बिजली और ऊर्जा	19,31,75,849	21,44,36,514
ड़) जल आवेशित	29,08,111	26,54,362
च) बीमा	1,31,27,720	1,37,56,446
छ) मरम्मत और रखरखाव	17,01,87,690	13,68,80,867
ज) उत्पाद शुल्क	-	-
झ) किराया, दरें और कर	76,16,238	89,59,248
ट) वाहन चलाना और रखरखाव	86,64,311	60,52,213
ठ) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	52,65,375	59,27,315
ड) मुद्रण और स्टेशनरी	46,94,242	56,82,203
ढ) यात्रा और वाहन शुल्क	5,39,00,614	4,81,71,655
त) सेमिनार/कार्यशाला पर व्यय	37,76,406	1,80,81,822
थ) सदस्यता व्यय	5,33,370	5,67,136
द) फीस पर खर्च	3,000	10,000
ध) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	42,93,295	8,38,244
न) आतिथ्य व्यय	43,05,728	39,21,064
प) व्यावसायिक प्रभार	1,91,45,273	1,88,08,184
फ) खराब और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	53,48,604	-
ब) अपरिवर्तनीय शेष राशि को बट्टे खाते में डाला गया	11,41,025	-
भ) पैकिंग शुल्क	-	-
म) माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय	15,07,648	23,49,821
य) वितरण व्यय	-	-
र) विज्ञापन और प्रचार	1,24,11,679	56,45,772
ल) बैंक शुल्क	6,39,868	2,54,517
व) जनशक्ति सेवाएं	20,30,19,329	16,55,51,631
श) अन्य प्रशासनिक व्यय	19,41,836	31,84,303
ष) वेबसाइट और सॉफ्टवेयर खर्च	-	15,72,859
स) परीक्षण व्यय एवं उपभोग्य वस्तुएं	17,74,38,236	14,32,39,567
ह) पूर्व अवधि व्यय	28,42,949	43,37,329
कुल	**89,78,88,395**	**81,08,83,071**
अनुसूची संख्या 22- अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय		
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	-	-
ग) अनुसंधान एवं विकास अनुदान/सरकारी अनुदान से व्यय	-	50,23,573
कुल	**-**	**50,23,573**
अनुसूची संख्या 23- ब्याज		
क) निश्चित ऋण पर	-	-
ख) अन्य ऋण पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-
ग) अन्य	-	-
कुल	-	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

वर्ष हेतु प्राप्ति और भुगतान का लेखा

31 मार्च, 2024 को

(राशि ₹ में)

प्राप्ति	31.03.2024 को समाप्त वर्ष क लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष क लिए	भुगतान	31.03.2024 को समाप्त वर्ष क लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष क लिए
I. **प्रारम्भिक शेष**			I. **व्यय**		
क) उपलब्ध शेष			अप्रत्यक्ष व्यय और व्यय देय		
एनएबी - फेम		-	एनएबी -फेम	29,76,54,017	1051,71,67,597
एच. ओ.	-	-	एच.ओ.	2,36,58,133	2,71,72,280
आईकैट	37,472	43,970	आईकैट	36,81,63,034	47,75,33,437
जीएआरसी		-	जीएआरसी	97,40,078	5,56,45,139
नैट्रेक्स			नैट्रेक्स	3,41,45,350	4,08,81,941
नियामित			नियामित	1,67,952	1,16,991
ख) बैंक खाते					
एनएबी - फेम	46,80,46,740	94,08,22,079			
एच. ओ.	12,40,53,737	34,09,38,905	II. **निधियों के विरूद्ध किए गए भुगतान**		
आईकैट	10,80,65,213	1,70,34,809	(निधि या परियोजना का नाम तथा प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान का विवरण दिया जाना चाहिए)		
जीएआरसी	19,56,67,296	1,02,12,295	क) भारत सरकार से - आईकैट	2,60,736	34,36,091
नैट्रेक्स	1,83,42,479	41,13,097	डीसीसीएआई नोडल एजेंसी फंड	1,43,93,586	
नियामित	34,16,019	68,47,223			
II. **प्राप्त अनुदान**			III. **निवेश और जमा किया गया**		
क) भारत सरकार से			क) निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि में से		
एनएबी - फेम		1000,00,00,000	ख) स्वयं के धन से (निवेश-अन्य)		
एच.ओ.-लोन फंड		-	आईकैट	362,67,03,048	282,29,00,000
अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए अनुदान		2,08,99,000	एच.ओ.	178,01,32,176	2,09,75,23,638
ख) राज्य सरकार से			जीएआरसी	50,94,43,123	28,69,00,000
ग) अन्य स्रोतों से		14,00,000	नैट्रेक्स	36,27,20,150	31,66,97,562
III. **से निवेश पर आय**			IV. **अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्य-प्रगति पर व्यय**		
क) निर्दिष्ट/बंदो. निधि			क) अचल संपत्तियों की खरीद		
ख) स्वयं की निधियां (अन्य) निवेश)			नैट्रेक्स	56,54,675	75,71,616
IV. **प्राप्त ब्याज**			ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
क) बैंक/सावधि जमा पर			एच.ओ.		-
एनएबी - फेम	76,03,743	4,43,92,258	आईकैट	-	26,208
एच. ओ.	13,72,09,181	7,21,24,749	देय लेखा -एच.ओ.	3,45,54,628	26,68,17,059
आईकैट	17,36,41,023	11,88,98,005			
जीएआरसी	3,31,59,115	67,09,476			
नैट्रेक्स	7,81,307	97,10,466			
नियामित	5,98,079	60,944			
ख) ऋण, अग्रिम आदि					
V. **अन्य आय (निर्दिष्ट करें)**			V. **बहुत अधिशेष धन/ऋण की वापसी**		
नेट अन्य रसीद			क) भारत सरकार को		
एच.ओ.	3,88,403	49,30,868	एनएबी -फेम		-
आईकैट	7,36,300	7,24,973	एच.ओ.	26,37,46,129	-
जीएआरसी	9,828	8,27,276	(ख) राज्य सरकार को		-
नैट्रेक्स	68,62,663	11,08,322	ग) निधियों के अन्य प्रदाता को		
नियामित		32,82,148			
VI. **उधार ली गई राशि**			VI. **वित्त प्रभार (ब्याज)**		
			इंडिया-फेम की समेकित निधि के साथ जमा		-
			भारत की समेकित निधि के साथ जमाराशि-एच.ओ.	8,89,96,085	1,14,33,401
				-	-
VII. **कोई अन्य रसीदें (विवरण दें)**			VII. **अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
फिक्स्ड डिपॉजिट			**प्रतिधारण/ईएमडी/पीबीजी**		
एच.ओ.	177,45,23,638	1,75,54,31,381	एच.ओ.		77,96,013
जीएआरसी	20,16,71,918	11,75,00,000	आईकैट	27,72,328	43,03,601
नैट्रेक्स	6,85,48,766	26,06,33,295	नैट्रेक्स	35,46,569	17,98,529
आईकैट	2,41,84,47,545	2,05,62,00,135			

प्राधिकरण/विक्रेता/अग्रिम से प्राप्तियां			**शुल्क और कर**		
एच.ओ.	25,52,21,319	47,49,49,447	एच.ओ.	73,59,492	95,79,257
जीएआरसी	73,04,54,092	10,05,938	आईकैट	45,82,39,947	37,98,52,742
नैट्रेक्स	2,14,191	7,34,449	जीएआरसी	10,16,31,831	10,52,69,655
नियामित		4,30,858	नैट्रेक्स	12,02,24,840	5,96,78,000
आईकैट	4,53,26,069	14,17,45,747	नियामित	1,20,637	19,928
मोबिलाइजेशन एडवांस की वसूली			सुरक्षा जमा (देयता) ख्र एच.ओ.	4,58,374	84,906
एच.ओ.		2,09,00,000	सुरक्षा जमा (देयता) ख्र आईकैट		-
प्रतिधारण/ईएमडी/पीबीजी			सुरक्षा जमा (देयता) ख्र जीएआरसी	14,500	
एच.ओ.		-	सुरक्षा जमा (देयता) ख्र नियामित		50,000
नैट्रेक्स			**विविध लेनदार**		
आईकैट	35,41,248	47,62,507	आईकैट	83,47,89,941	80,14,67,566
विविध देनदार			जीएआरसी	44,78,85,947	21,38,84,077
एच.ओ.			नैट्रेक्स	16,21,02,985	12,63,37,281
आईकैट	277,22,61,665	2,48,32,19,224	नियामित	1,09,13,489.53	81,68,617
जीएआरसी	19,59,189	52,82,73,809	प्राधिकरण-एचओ के पास जमा (टीडीएस प्राप्य)	1,17,58,638.50	39,37,188
नैट्रेक्स	61,05,87,323	29,47,38,595	**वर्तमान संपत्ति/अग्रिम**		
नियामित	36,64,609	11,74,990	सुरक्षा जमा (संपत्ति)- आईकैट	26,57,000	6,71,737
सुरक्षा जमा (संपत्ति)			सुरक्षा जमा (संपत्ति)-जीएआरसी		-
एच.ओ.	18,76,635	2,14,83,188	अग्रिम- आईकैट	3,86,43,647	13,77,42,701
आईकैट	12,17,324	27,307	एडवांस-नैट्रेक्स	11,10,147	4,14,808
नैट्रेक्स		-	एडवांस-जीएआरसी	54,31,885	39,18,620
जीएआरसी	10,53,208		एडवांस-नियामित		
अंतर शाखा			प्राधिकरण-नियामित के पास जमा (टीडीएस प्राप्य)		24,608
एच.ओ.-नैट्रेक्स		15,16,084	एडवांस-एच.ओ.	23,43,252	11,42,91,699
एच.ओ.-जी.ए.आर.सी.		19,67,55,993	पूंजीगत व्यय-एच.ओ.		4,89,68,360
एच.ओ.-नियामित	64,21,680.00		एच.ओ.- जीएआरसी	4,34,03,161	-
			देनदार-नैट्रेक्स को धनवापसी	20,51,592	8,32,094
			देनदार- आईकैट को रिफंड	10,68,33,566	8,80,19,908
			VIII. **अंतिम शेष**		
			क) उपलब्ध शेष		
			एनएबी -फेम		-
			एच.ओ.		-
			आईकैट	10,876	37,472
			जीएआरसी		-
			नैट्रेक्स		-
			नियामित		-
			ख) बैंक खाते		
			एनएबी -फेम	17,79,96,466	46,80,46,740
			एच.ओ.	6,58,72,419	12,40,53,737
			आईकैट	8,41,99,736	10,80,65,214
			जीएआरसी	4,64,24,120	19,56,67,296
			नैट्रेक्स	1,37,80,421	1,83,42,479
			नियामित	28,98,309	34,16,019
कुल	**1017,56,09,015**	**1996,65,63,810**	**कुल**	**1017,56,09,015**	**1996,65,63,810**

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार पुनर्गठित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
(सीए. मुकेश छाजेड़)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 24096778BKCZCH7125

Sd/-
प्रबंधक वित्त
एनएबी

Sd/-
निदेशक (एम एच आई)
एवं लुकिंग आफ्टर
निदेशक एफपीसीएएल, एनएबी

Sd/-
सीसीए, एम एच आई
एवं लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

दिनांक: 10-07-2024
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

अनुसूची संख्या-24 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय मोटरवाहन बोर्ड (एनएबी) एक स्वायत्त निकाय है जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 अगस्त, 2013 को पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013 के तहत सोसायटी के रूप में शामिल किया गया है, जिसका विशिष्ट उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में लॉन्च की गई फेम योजना का संचालन और निगरानी करना है।

इसके अलावा, नैट्रिप परियोजना के तहत बनाई गई सभी संपत्तियाँ जिनमें 'इलेक्ट्रिक वाहन (ई.वी) के लिए परीक्षण सुविधा अवसंरचना और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) प्रदर्शन परीक्षण/प्रमाणन' शामिल हैं, को 01.04.2023 से परीक्षण केंद्रों की संबंधित पुस्तकों में उनके लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार 31.03.2023 तक के बही मूल्य पर आवंटित किया गया है। इन परिसंपत्तियों के अनुरूप, उनके संचित मूल्यह्रास, परियोजना अनुदान, ऋण और अवशिष्ट देनदारियों को भी 01.04.2023 से परीक्षण केंद्र की संबंधित पुस्तकों में आवंटित किया गया है।

2. लेखांकन की विधि

सोसायटी ने लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन किया है। ये वित्तीय विवरण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और लेखांकन मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

3. अचल संपत्तियां

क) सोसायटी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों का विवरण उनकी अधिग्रहण लागत में मालभाड़ा सहित दर्शाया गया है। अधिग्रहण से संबंधित शुल्क, कर और अन्य प्रत्यक्ष व्यय, जो परिसंपत्तियों को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील बनाने हेतु किए जाते हैं।

ख) निर्माण और अधिग्रहण के दौरान अर्जित परिसंपत्तियों को संचित किया जाता है और बैलेंस शीट की तिथि पर उनकी पूर्णता की स्थिति के अनुसार पूर्ण या चालू कार्य (प्रगति पर कार्य) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग) विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खरीदे गए उपकरणों का लेखा संबंधित केंद्रों की लेखा पुस्तकों में उस विशिष्ट अनुदान के उपयोग के अंतर्गत किया गया है। इन परिसंपत्तियों को सोसायटी की अचल परिसंपत्तियों में नहीं दिखाया गया है।

घ) अचल परिसंपत्तियों के निपटान के समय, परिसंपत्ति का लिखित मूल्य कम कर दिया जाता है तथा शेष राशि को आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

4. मूल्यह्रास

क) अचल संपत्तियों पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों पर लिखित आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है।

ख) सोसायटी के अंतर्गत उसके केन्द्र में निर्मित परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास तब लगाया जाएगा जब परिसंपत्तियां (प्रयोगशाला/सुविधा में उपकरण, भवन, उपयोगिताएं) प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालन करने में सक्षम होंगी तथा उस लागत पर लगाया जाएगा जो सीधे तौर पर परिसंपत्तियों को आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार होगी।

ग) सरकारी अनुदान से सृजित परियोजना परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को संबंधित परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास की सीमा तक आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और इसे लेखांकन मानक-12 'सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन' के अनुसार पूंजी दृष्टिकोण पद्धति का पालन करते हुए आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

5. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन का लेखा ऐसे लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है। बैलेंस शीट की तिथि पर विदेशी मुद्रा में बकाया परिसंपत्तियों और देनदारियों को बैलेंस शीट की समापन तिथि पर प्रचलित दर पर बहाल किया गया है। पूंजीगत मद खरीद से संबंधित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव को संबंधित परिसंपत्तियों के मूल्य में पूंजीकृत किया जाता है और राजस्व मदों से संबंधित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव को आय और व्यय खाते में चार्ज किया जाता है।

6. कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की गणना नकद आधार पर की जाती है। इसके अलावा, भविष्य निधि और ईएसआई जैसे अन्य परिभाषित अंशदान लाभ उपार्जन आधार पर किए जाते हैं। कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी जैसी परिभाषित अंशदान लाभ योजनाओं के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित की जाती है और कर्मचारी को संचित अवकाश नकदीकरण लाभ के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित किया जाता है और इस धारणा पर गणना की जाती है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। आईकैट के मामले में, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण देयताओं को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से ली गई पॉलिसी के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। नैट्रैक्स और जीएआरसी के मामले में, केवल ग्रेच्युटी की देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से ली गई पॉलिसी के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। अन्य केंद्रों में, सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान पहले से बनाए गए प्रावधानों में से देय होने पर किया जाता है।

7. सरकारी अनुदान

क) नैट्रिप परियोजनाओं के लिए पूंजी प्राप्तियों की प्रकृति में सरकारी अनुदानों को निर्धारित निधियों के रूप में दर्ज किया जाता है, अर्थात शेष अनुदान को ई.वी अनुदान सहित नैट्रिप परियोजना परिसंपत्तियों के लिखित मूल्य के लिए निर्धारित के रूप में दिखाया जाता है। पूंजी दृष्टिकोण के तहत लेखांकन मानक -12 'सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन' के अनुसार 'मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों/व्यय से संबंधित अनुदानों को लगाए गए मूल्यह्रास की सीमा तक आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है और निर्धारित के रूप में दिखाए गए शेष अनुदान से भी घटाया जाता है ।

ख) फेम योजना के तहत अनुसंधान एवं विकास तथा मांग प्रोत्साहन (डीआईडीएम) के लिए सरकारी अनुदान निर्धारित निधि के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। इन अनुदानों से संबंधित व्यय, चाहे भुगतान किया गया हो या देय हो, का भी निर्धारित निधि के अंतर्गत हिसाब लगाया जाता है। मांग प्रोत्साहन के लिए अनुदान को वर्ष के दौरान दर्ज किए गए दावे और भुगतान किए गए दावे के लिए किए गए प्रावधान की सीमा तक प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है।

ग) प्रशासनिक व्यय अर्थात स्थापना और अवसंरचना निधि के लिए फेम योजना के अंतर्गत सरकारी अनुदान को "अन्य परियोजना अनुदान" शीर्षक के अंतर्गत दिखाया गया है और ऐसे अनुदान के अप्रयुक्त शेष को चालू देयता के रूप में माना गया है। इन अनुदानों के विरुद्ध व्यय का लेखांकन मानक-12 "सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन" के अनुसार पूंजी दृष्टिकोण के अंतर्गत "मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों/व्यय से

संबंधित अनुदानों को वर्ष के दौरान किए गए व्यय की सीमा तक आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

घ) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अन्य केंद्र विशिष्ट सरकारी अनुदानों को परियोजना विशिष्ट अनुदानों के अंतर्गत दिखाया गया है तथा ऐसे अनुदानों की अप्रयुक्त शेष राशि को चालू देयता माना गया है। राजस्व अनुदानों के मामले में, इसे आय एवं व्यय खाते से वसूला गया है।

8. आय मान्यता

क) परिचालन केंद्रों पर राजस्व वाहनों के परीक्षण की सेवाओं की प्रकृति में है, तथा इसे तब मान्यता दी गई है जब पूर्ण सेवाएं या उसका एक भाग पूरा हो गया हो।

ख) परियोजना निधि/सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज भारत सरकार को वापस किया जाता है तथा इसे चालू देयता के रूप में दर्शाया जाता है। केन्द्रों के अधिशेष राजस्व के निवेश पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में माना जाता है।

ग) अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान उन केन्द्रों के लिए किया गया है जहां वसूली की संभावना नगण्य है तथा लंबी अवधि में वसूली योग्य नहीं है।

घ) विभिन्न अनुबंधों के अंतर्गत ली गई निष्पादन बैंक गारंटी (उस पर ब्याज सहित) के नकदीकरण के कारण प्राप्त राशि को चालू देनदारियों के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि विवादों/मध्यस्थता के निपटारे के बाद यह राशि या तो सरकार को या संबंधित ठेकेदारों को देय होती है।

ड.) नैट्रिप परियोजना के अंतर्गत वसूल/कटौती की गई तरलता क्षति के कारण प्राप्त राशि को चालू देनदारियों के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि यह सरकार को देय है।

9. इन्वेंटरी

केंद्रो पर उपल्बध स्टॉक में एचएसडी, संदर्भ ईंधन आदि का स्टॉक शामिल होता है और इसका मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

10. कर लगाना

सोसायटी आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकृत है। आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई कर योग्य आय न होने के कारण, तदनुसार, आयकर हेतु कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

11. आकस्मिक देयताएं और प्रावधान

भविष्य की घटना के आधार पर देयताएं घटित हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमान के आधार पर सभी ज्ञात देयताओं और हानियों के लिए प्रावधानों का लेखा-जोखा किया जाता है।

12. पूर्व अवधि आइटम

एक या एक से अधिक अवधि से संबंधित पूर्व अवधि की मदों का लेखा किया जाता है, चाहे वे आय हों या व्यय, जो लेखांकन उपचार, त्रुटियों या चूक में सुधार के परिणामस्वरूप चालू अवधि में उत्पन्न होती हैं।

अनुसूची संख्या-25
आकस्मिक देयताओं और खातों पर नोट्स

1. नैट्रिप परियोजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना स्थल पर भूमि का स्वामित्व भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के पास निहित है, क्योंकि भूमि के लिए भुगतान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से सोसायटी द्वारा किया जाता है। नैट्रिप परियोजना के अंतर्गत भूमि का विवरण इस प्रकार है:

क्र.स.	जगह का नाम	क्षेत्र	नि:शुल्क पकड	लीज होल्ड	व्यवसाय की स्थिति
			मूल्य करोड़ ₹ मे		
1	आईकैट-I	8 एकड़	11.20	-	आईकैट द्वारा पूर्णत: कब्जा कर लिया गया है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं किया गया है
2	आईकैट-II	46.9 एकड़	156.02	-	आईकैट द्वारा पूर्णत: कब्जा कर लिया गया है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं किया गया है
3	नेट्रैक्स	2960 एकड़		0.00008	नैट्रैक्स द्वारा पूर्णत: कब्जा किया गया, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नही
4	जी.ए.आर.सी.	304 एकड़		65.20	जीएआरसी द्वारा पूर्णत: कब्जा किया गया, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नही
5	एनआईएआईएमटी साइट-I-ढोलचेर	65.123 एकड़		0.18	नियामित द्वारा पूर्णत: कब्जा कर लिया गया है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं किया गया है
6	एनआईएआईएमटी साइट-II जफीरबांद	19.504 एकड़	1.88		नियामित द्वारा पूर्णत: कब्जा कर लिया गया है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं किया गया है
कुल			**169.10**	**65.38**	

2. 31.03.2023 तक लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार, नैट्रिप परियोजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियाँ जिनमें "इलेक्ट्रिक वाहन (ई.वी) के लिए परीक्षण सुविधा अवसंरचना और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) प्रदर्शन परीक्षण/प्रमाणन" शामिल हैं, को 01.04.2023 से परीक्षण केंद्रों की संबंधित पुस्तकों में उनके बही मूल्य ₹ 1869.12 करोड़ पर आवंटित किया गया है, जिसमें ₹ 52.62 करोड़ के प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (₹ 3272.64 करोड़ की सकल मूल्य राशि) शामिल हैं। 31.03.2024 तक शुद्ध डब्ल्यूडीवी (बही मूल्य) ₹ 1688.75 करोड़ है, जिसमें ₹ 51.83 करोड़ के प्रगतिरत पूंजीगत कार्य शामिल हैं। (अनुसूची 8-बी और सी देखें)

3. सीसीईए की मंजूरी के अनुसार ऋण निधि ब्याज मुक्त है और इसे सात साल की स्थगन अवधि के बाद आठ बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। ऋण की पहली किस्त का भुगतान वर्ष 2025 से शुरू किया जाएगा। ऋण निधि के आवंटन का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	कुल	आईसीएटी	जी.ए.आर.सी.	नैट्राक्स	एआरएआई
ऋण	611.65	186.23	194.07	190.91	40.44

4. भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने पत्र संख्या 6(01)/2016/एनएबी -(ii) (ऑटो) दिनांक 7 जनवरी 2019 के माध्यम से 'इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) प्रदर्शन परीक्षण/प्रमाणन के लिए परीक्षण सुविधा बुनियादी ढांचे' के लिए परियोजना को मंजूरी दी, जिसका कुल मूल्य ₹ 95 करोड़ है (सरकारी कोष से ₹ 73 करोड़ और स्वयं के कोष से ₹ 22 करोड़)। सोसायटी को मंत्रालय से ₹ 73 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी और ₹ 87.41 करोड़ की अस्थायी पूर्ण लागत पर विचार करते हुए केंद्रों को स्वयं के कोष के हिस्से के रूप में उसी अनुपात में

₹ 18 करोड़ आवंटित किए गए थे। परियोजना को ₹ 60.12 करोड़ की अंतिम लागत पर पूरा किया गया है। जिसमें एमएचआई को ₹ 46.63 करोड़ और परीक्षण केंद्रों को ₹ 13.49 करोड़ का अंतिम आवंटन किया गया है कुल बचत राशि ₹ 30.88 करोड़ में से मंत्रालय के हिस्से की ₹ 26.37 करोड़ की राशि वापस कर दी गई है। विवरण इस प्रकार है।

(राशि ₹ करोड़ में)

परीक्षण केंद्र	स्वीकृत वित्तपोषण पैटर्न		कुल व्यय (अर्थात समापन लागत)	समापन लागत का हिस्सा	
	एमएचआई से	स्वयं के वित्तपोषण से		एमएचआई से	स्वयं के वित्तपोषण से
आईसीएटी	30.00	15.00	26.33	17.55	8.78
जी.ए.आर.सी.	30.00	5.00	22.05	18.90	3.15
नैट्राक्स	13.00	2.00	11.74	10.17	1.57
कुल	**73.00**	**22.00**	**60.12**	**46.63**	**13.49**
शुद्ध बचत				**26.37**	**8.51**

5. चालू वित्त वर्ष के दौरान, सोसायटी के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्ति पर मूल्य ह्रास ₹ 201.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 223.23 करोड़) लगाया गया है, जिसमें से लेखांकन मानकों (एएस-12) के अंतर्गत निर्धारित पूंजी दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार, परियोजना परिसंपत्तियों (नैट्रिप अनुदान निधि) पर चालू वर्ष का मूल्य ह्रास ₹ 180.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 98.69 करोड़) आस्थगित आय माना गया है, जिसे स्थापना एवं अवसंरचना निधि (फेम) के व्यय सहित कुल ₹ 181.14 करोड़े (पिछले वर्ष ₹ 99.66 करोड़) चालू वर्ष के आय-व्यय खाते में जमा किया गया है, जिसमें सरकारी अनुदान से तदनुसार घटाया गया है। जिसमें से परियोजना परिसंपत्तियों (नैट्रिप अनुदान निधि) पर मूल्य ह्रास ₹ 201.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 99.66 करोड़) पिछले वर्ष परियोजना परिसंपत्तियों (ऋण निधि) पर मूल्यह्रास के तहत ₹ 47.06 करोड़ गलत तरीके से आवंटित किए गए थे और इसे एएस-12 के अनुसार आस्थगित आय के रूप में नहीं दिखाया गया था, अब इसे अनुसूची 13 के तहत परियोजना परिसंपत्तियों (अनुदान निधि) पर मूल्यह्रास के लिए एएस-12 के अनुसार पूर्व अवधि की आस्थगित आय के रूप में सुधारा गया है

6. वर्ष के दौरान सोसायटी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 12.40 करोड़ का आयकर रिफंड प्राप्त हुआ, जिसमें ₹ 0.51 करोड़ का ब्याज भी शामिल है। सोसायटी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 0.21 करोड़ का ब्याज भी रिफंड मिला है।

7. सोसाइटी को वित्तीय वर्ष 2008-09 में चेन्नई में 2/3 पहिया वाहनों की रीसाइक्लिंग के लिए रीसाइक्लिंग डेमो यूनिट (आरडीयू) स्थापित करने के लिए ₹ 1.41 करोड़ का अनुदान (योजना अनुदान से परे) मिला था। जीएआरसी चेन्नई में रीसाइक्लिंग डेमो यूनिट स्थापित कर दी गई है और उसे क्रियाशील बना दिया गया है। उपरोक्त अनुदान से निर्मित परिसंपत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

आरडीयू के अंतर्गत परिसंपत्तियों का विवरण	राशि (₹)
मशीनरी उपकरण	35,69,271.00
एयर कंडीशनर	33,837.00
कंप्यूटर/ परिधीय	38,800.00
टोकरे और पैलेट-	2,95,181.00
फर्नीचर और स्थिरता	4,42,770.00
कार्यालय उपकरण	61,208.00
मुद्रक	43,150.00
सोनी कैमरा- DSC 570B	11,185.00
कुल	**44,95,402.00**

8. 31.03.2024 तक एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लागत केंद्र का नाम	देय ग्रेच्युटी (छूट दर @ 7% प्रति वर्ष लगभग)					
		वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	वर्तमान सेवा लागत	पिछली सेवा लागत	एलआईसी द्वारा वित्तपोषित	मूल्यांकन रिपोर्ट की तिथि	चालू वर्ष की राशि
1	एनएबी (मुख्यालय)	1.32	0.04	-	-	26.04.24	0.07
2	आईसीएटी	11.47	0.69	8.70	हाँ	09.04.24	0.86
3	जी.ए.आर.सी.	1.83	0.01	-	हाँ	31.03.24	0.19
4	नैट्राक्स	1.66	0.07	-	हाँ	06.05.24	0.08
5	एनआईएआईएमटी	0.60	0.02	-	-	20.04.24	0.09

क्र.स.	लागत केंद्र का नाम	अवकाश नकदीकरण देय (छूट दर @ 7.25% प्रति वर्ष)					
		वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	वर्तमान सेवा लागत	पिछली सेवा लागत	एलआईसी द्वारा वित्तपोषित	मूल्यांकन रिपोर्ट की तिथि	चालू वर्ष की राशि
1	एनएबी (मुख्यालय)	0.69	0.10	-	-	26.04.24	0.18
2	आईसीएटी	8.58	0.15	8.43	हाँ	01.04.24	2.29
3	जी.ए.आर.सी.	1.48	0.21	-	एफडीआर के साथ निर्धारित	26.04.24	0.57
4	नैट्राक्स	0.59	0.13	-	हाँ	06.05.24	0.12
5	एनआईएआईएमटी	0.26	0.04	-	-	20.04.24	0.11

9. वर्ष के दौरान फेम योजना के अंतर्गत सोसायटी को मांग प्रोत्साहन (डीआईडीएम) के लिए शून्य रुपये (पिछले वर्ष ₹ 990 करोड़) की अनुदान राशि प्राप्त हुई। इन अनुदानों से संबंधित व्यय, चाहे भुगतान किया गया हो या देय हो, ₹ 0.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1006.71 करोड़) के बराबर है। इसे अनुसूची-3 के अंतर्गत निर्धारित निधि के रूप में दर्शाया गया है।

10. वर्ष के दौरान फेम योजना के अंतर्गत, सोसायटी को स्थापना एवं अवसंरचना निधि के लिए शून्य रुपये (पिछले वर्ष ₹ 10 करोड़) की अनुदान राशि प्राप्त हुई। इन अनुदानों से संबंधित व्यय, चाहे भुगतान किया गया हो या देय हो, एएस-12 के अनुसार ₹ 0.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.98 करोड़) के रूप में दर्ज किया गया है। इसे "अनुसूची-7 (सी)- अन्य परियोजना अनुदान" के अंतर्गत दर्शाया गया है।

11. सोसायटी ने ₹ 77 करोड़ की प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) राशि को भुनाया है, जिसे विवाद/मध्यस्थता मामले के कारण ठेकेदारों से भुनाया गया है। इसे भारत सरकार या ठेकेदारों को अर्जित ब्याज राशि के साथ वापस किया जाना है, इसलिए इसे चालू देयताओं के शीर्षक के तहत दिखाया गया है।

12. सोसायटी ने नकदीकृत प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) पर ₹ 55.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 45.40 करोड़) की ब्याज राशि अर्जित की है। इसे भारत सरकार या ठेकेदारों को वापस किया जाना है, इसलिए इसे चालू देयताओं के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया गया है। अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज भारत सरकार को देय है, जो कि फेम से संबंधित अप्रयुक्त अनुदान के लिए ₹ 5.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.54 करोड़) और नोडल एजेंसी अनुदान से संबंधित अप्रयुक्त अनुदान के लिए ₹ 0.06 करोड़ (पिछले वर्ष ई.वी अनुदान से संबंधित अप्रयुक्त अनुदान के लिए ₹ 0.83 करोड़) है।

13. सोसायटी द्वारा एआरएआई-आरसीएन के अधिग्रहण के समय, कुछ परिसंपत्तियाँ नि:शुल्क प्राप्त की गई हैं। ये परिसंपत्तियाँ संख्या में 12 हैं तथा अचल परिसंपत्ति अनुसूची में प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1 है।

14. सोसायटी को भारत सरकार द्वारा विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र विशेष अनुदान प्राप्त होता है। ऐसे विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास के संचालन के लिए, मुख्य रूप से उपकरणों की प्रकृति में कुछ अचल संपत्तियां खरीदी गई हैं, जिनका लेखा उस विशिष्ट अनुदान के उपयोग के अंतर्गत किया गया है। चूंकि ये उपकरण विशिष्ट उपयोग के लिए हैं और परियोजना के पूरा होने के बाद, स्वीकृति के अनुसार संग्रहीत किए गए हैं, इसलिए अनुदान स्वीकृति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बाद इनका निपटान किया जा सकता है। ऐसी संपत्तियों के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रखा गया है। विवरण इस प्रकार हैं:

₹ करोड़ मे

क्र.स.	आईकैट केंद्र (आर एंड डी परियोजना)	01.04.2023 तक प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	प्राप्त ब्याज	वर्ष के दौरान उपयोग (ब्याज/ रिफंड सहित)	31.03.2024 तक अंतिम शेष राशि
1	सड़क यातायात दुर्घटनाओं का गहन डेटा संग्रह	0.02	-	-	0.02	-
2	सीओई परियोजना (20% योगदान)	0.14	-	-	-	0.14
	कुल राशि	**0.16**	-	-	**0.02**	**0.14**

15. देनदारों और लेनदारों के शेष की पुष्टि और समाधान किया जाना है। अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान संबंधित केंद्रों के लिए किया गया है, जहां वसूली की संभावना नगण्य है और लंबे समय में वसूली योग्य नहीं है। वर्ष के दौरान अशोध्य ऋणों के लिए ₹ 53,48,604/- का प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष यह शून्य रुपये था)

16. चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाए गए वैधानिक बकाया (शुल्क और कर) मार्च, 2024 के महीने के लिए देय हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में छह महीने से अधिक समय तक कोई बकाया नहीं है। बकाया टीडीएस वसूली योग्य राशि संबंधित वर्ष का मूल्यांकन पूरा होने पर वसूल/समायोजित की जाएगी।

17. सीएंडएजी ने रिपोर्ट दी है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूर के बिना, संविदा कर्मचारियों, सलाहकारों और तत्कालीन निदेशक, आईकैट सहित आईकैट के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को प्रदर्शन लिंक वैरिएबल पे (पीएलवीपी) योजना के तहत ₹ 59.47 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया है। सीएंडएजी रिपोर्ट के आधार पर, आईकैट की उक्त योजना (पीएलवीपी) को 23.03.2022 से निलंबित कर दिया गया और कानूनी/विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

18. फेम-II योजना भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा 1 अप्रैल, 2019 को देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम के विकास के साथ-साथ स्थानीयकरण के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया है। योजना

के इस चरण का उद्देश्य ई-बसों, ई-थ्री व्हीलर्स, ई-4 व्हीलर्स और ई-2 व्हीलर्स का समर्थन करके मांग पैदा करना है। एमएचआई को मार्च, 2022 से अप्रैल, 2023 की अवधि के दौरान इस योजना के तहत 13 ओईएम के खिलाफ शिकायतें मिलीं, जो मुख्य रूप से चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) दिशानिर्देशों के उल्लंघन और एक्स-फैक्ट्री कीमतों के उल्लंघन से संबंधित थीं। एआरएआई और आईकैट जैसी परीक्षण एजेंसियों (टीए) को विस्तृत जांच करने का काम सौंपा गया था, जिसमें ओईएम प्लांट निरीक्षण, चालान बीओएम आदि का विश्लेषण, वाहन परीक्षण और उन ग्राहकों से खरीदे गए वाहनों का स्ट्रिप डाउन विश्लेषण शामिल था, जिन्होंने फेम-II हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक (पूर्व में एम्पीयर), रिवोल्ट, एमो मोबिलिटी और बेनलिंग। 6 ओईएम को फेम-II योजना से पंजीकरण रद्द करने और गलत तरीके से दावा किए गए प्रोत्साहन की वापसी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 6 ओईएम द्वारा वापस की जाने वाली राशि ₹ 468.80 करोड़ है। वर्ष के दौरान, 3 ओईएम अर्थात् ग्रीव्स इलेक्ट्रिक (पूर्व में एम्पीयर), रिवोल्ट और एमो मोबिलिटी ने लागू ब्याज सहित ₹ 190.89 करोड़ की पूरी प्रोत्साहन राशि सीधे मंत्रालय के खातों में वापस कर दी है। हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा और बेनलिंग को भुगतान की गई ₹ 298.75 करोड़ की शेष राशि भी वसूली योग्य है।

19. वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास हेतु आरक्षित निधि की राशि ₹ 6.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.62 करोड़) बनाई गई है, जो आईकैट सोसायटी प्रभाग की व्यय पर आय के 5% के बराबर है।

20. पूर्व अवधि की वस्तुओं का विवरण:

पूर्व अवधि आय (₹)	**वित्त वर्ष 2023-2024**	**वित्त वर्ष 2022-23**
दर, किराया और कर (आईसीएटी)	-	₹ 13,93,649/-
विविध आय (एनआईएआईएमटी)	-	₹ 7,28,573/-
कुल	**-**	₹ **21,22,222/-**
पूर्व अवधि व्यय (₹)	**वित्त वर्ष 2023-2024**	**वित्त वर्ष 2022-23**
मरम्मत एवं रखरखाव (आईकैट)	₹ 9,97,328/-	₹ 4,65,662/-
परीक्षण व्यय एवं उपभोग्य वस्तुएं (आईकैट)	₹ 11,35,448/-	-
बिजली एवं ऊर्जा (आईकैट)	₹ 2,68,007/-	-
बीमा (आईकैट)	₹ 19,351/-	-
विविध व्यय (आईकैट)	₹ 1,92,871/-	-
विविध व्यय (नैट्रैक्स)	-	₹ 9,76,911/-
विविध व्यय (जीएआरसी)	-	₹ 11,59,670/-
विविध व्यय (एनआईएआईएमटी)	₹ 93,779/-	₹ 76,204/-
व्यावसायिक प्रभार (फेम)	-	₹ 1,19,527/-
विविध व्यय (फेम)	₹ 98,050/-	
वेबसाइट विकास शुल्क (फेम)	-	₹ 4,24,800/-
सेमिनार/कार्यशाला पर व्यय (फेम)	-	₹ 7,43,400/-
सी-एजी ऑडिट शुल्क	-	₹ 3,71,155/-
विविध व्यय (मुख्यालय)	₹ 38,115	-
कुल	₹ **28,42,949/-**	₹ **43,37,329/-**

21. विदेशी मुद्रा में आय/व्यय

विदेशी मुद्रा में आय/व्यय (₹)	**वित्त वर्ष 2023-2024**	**वित्त वर्ष 2022-2023**
आईकैट		
विदेशी मुद्रा में आय	₹ 14,72,05,397/-	₹ 8,58,63,517/-
विदेशी मुद्रा में व्यय	₹ 7,05,48,046/-	₹ 7,41,32,427/-
विदेशी मुद्रा परिवर्तन क्रेडिट (डेबिट)	₹ 14,86,468/-	₹ 10,56,242/-
जी.ए.आर.सी.		
विदेशी मुद्रा में व्यय	-	₹ 1,39,505/-

22. आकस्मिक देयता:

क) श्री एस. पुरुषोत्तमन (पूर्व कर्मचारी) ने वेतन में कटौती और सेवा समाप्ति के लिए नैटिस के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं दायर की हैं, जिनका कुल दावा ₹ 35,00,000 है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और नैटिस को अनुकूल परिणाम की उम्मीद है, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई है।

ख) नैट्रैक्स, इंदौर में ₹ 453 करोड़ की लागत से परीक्षण पथों के निर्माण का कार्य 4 मई 2010 को 2 वर्ष की अनुबंध अवधि अर्थात 14 सितम्बर 2012 तक के लिए दिया गया था और जीएआरसी, चेन्नई में ₹ 72.35 करोड़ की लागत से 12 महीने की अनुबंध अवधि के लिए परीक्षण पथ का निर्माण कार्य भी आईवीआरसीएल को 4 मई 2010 को दिया गया था। 16 जनवरी 2013 को मेसर्स आईवीआरसीएल के साथ परियोजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा है कि जीएफसीडी जारी करने में देरी, डिजाइन की समीक्षा के लिए कार्य पर रोक आदि जैसे विभिन्न कारणों से; और निर्माण सामग्री अर्थात डीजल, बिटुमिन, सीमेंट, स्टील आदि और श्रम की लागत में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए वे मूल बीओक्यू दरों के अनुसार कार्य निष्पादित करने की स्थिति में नहीं होंगे और कार्य निष्पादन के मामले में मेसर्स आईवीआरसीएल को प्राप्य घाटा होगा क्योंकि दरें 3.5 वर्ष से अधिक पुरानी है। उपरोक्त आधार और परियोजना के हित के आधार पर नैटिस ने मेसर्स आईवीआरसीएल के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है। मेसर्स आईवीआरसीएल ने नैट्रैक्स, इंदौर और जीएआरसी, चेन्नई के परीक्षण ट्रैक के अनुबंध के विरुद्ध अपने अनुबंधात्मक नुकसान के दावों के अनुसार ₹ 201.48 करोड़ की राशि के पूरक दावों सहित कुल ₹ 415.27 करोड़ के दावे दायर किए हैं। नैट्रिप ने जोखिम और लागत के कारण मेसर्स आईवीआरसीएल पर ₹ 792.35 करोड़ (संशोधित राशि ₹ 871.06 करोड़) कि राशी के लिए जवाबी दावे भी दायर किए हैं। मामला मध्यस्थता के अधीन है और मेसर्स आईवीआरसीएल को 23.02.2018 को दिवालिया घोषित कर दिया गया था और कंपनी का परिसमापन प्रक्रियाधीन था। वर्ष के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई।

ग) हमारे ठेकेदार मेसर्स डीएस पार्टनरशिप ने सिविल, जनरल अरेंजमेंट और जनरल यूटिलिटीज के डिजाइन के लिए अपने संविदात्मक भुगतान के संबंध में 3,32,231.73 GBP (31.03.2024 को लगभग ₹ 3.50 करोड़ के बराबर @ ₹ 105.2935 प्रति GBP) के लिए दावा दायर किया है, साथ ही सिविल, जनरल अरेंजमेंट और जनरल यूटिलिटीज के डिजाइन की डिलीवरी के लिए उनके संविदात्मक भुगतान के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिया है और मध्यस्थता कार्यवाही की लागत 15,000.00 GBP (31.03.2024 को लगभग ₹ 15.79 लाख के बराबर @ ₹ 105.2935 प्रति GBP) का दावा भी दायर किया है। मामले का निर्णय 02.04.2016 के आदेश के अनुसार सोसायटी के पक्ष में किया गया है। चूंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस दावे के विरुद्ध लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

घ) आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर निर्धारण पूरा हो गया है और टीडीएस राशि ₹ 12,29,83,109/- (कुल विवादित मांग ₹ 51,34,37,279/-) समायोजित करने के बाद

सोसायटी के खिलाफ ₹ 39,04,54,170/- की अतिरिक्त मांग की गई है। मांग के खिलाफ सोसायटी ने अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की है। प्रबंधन का मानना है कि अपील की कार्यवाही समाप्त होने और आदेश प्राप्त होने के बाद सोसायटी के खिलाफ कोई मांग नहीं हो सकती है। इसे देखते हुए खातों में इस देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ड.) नैट्रिप ने 7 मई 2010 को इंदौर के नैट्रैक्स में क्लाइंट वर्कशॉप, मेंटेनेंस और जनरल स्टोरेज बिल्डिंग के निर्माण के लिए मेसर्स एरा बिल्डसिस लिमिटेड के साथ ₹ 11,13,18,590/- का अनुबंध किया था। काम पूरा हो गया और ठेकेदार मेसर्स एपेक्स बिल्डसिस (जिसे पहले एरा बिल्डसिस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के साथ अंतिम बिल का निपटान कर दिया गया। मेसर्स एपेक्स बिल्डसिस ने अनुबंध के खंड 19ए का इस्तेमाल किया और दावों की सूचना 24 जुलाई, 2017 को नैट्रिप को दी गई। इसके अलावा, उन्होंने अनुबंध के खंड 31 (सौहार्दपूर्ण समझौता और मध्यस्थता) का इस्तेमाल करते हुए 28 अगस्त, 2017 को एक और पत्र जारी किया और सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिए श्री ए.के. शर्मा को अपना नामित व्यक्ति नियुक्त किया। इसके बाद, 25 अक्टूबर, 2017 को ठेकेदार के साथ नैट्रिप मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई। इसके अलावा, मेसर्स एपेक्स बिल्डसिस ने 21 नवंबर, 2017 के अपने पत्र के माध्यम से अपनी सुरक्षा जमा राशि (अर्थात प्रतिधारण धन) जारी करने का अनुरोध किया। प्रतिधारण धन 25 जनवरी, 2018 को जारी किया गया है। ठेकेदार ने 13 फरवरी, 2018 को (हलफनामे में उल्लिखित तारीख के अनुसार) दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11 के तहत मध्यस्थता दायर की। याचिका की प्रति इस कार्यालय में 26 फरवरी, 2018 को प्राप्त हुई। ठेकेदार द्वारा दावा की गई राशि विलंबित परियोजना के कारण हुए नुकसान के लिए ₹ 16.99 करोड़ है और प्रतिदावा ₹ 4.80 करोड़ दायर किया गया है। इस दावे के विरुद्ध खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि मामला मध्यस्थता के तहत लंबित है और कंपनी का परिसमापन प्रक्रियाधीन था।

च) नैट्रिप ने 1 अप्रैल, 2010 को 58,52,715 यूरो के अनुबंध मूल्य पर जीएआरसी में क्रैश टेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन की आपूर्ति और स्थापना के लिए मेसर्स किस्टलर इंस्ट्रूमेंट एजी, स्विट्जरलैंड के साथ अनुबंध किया था। आपूर्ति 2013 में की गई थी और सामग्री की आपूर्ति के लिए 80% भुगतान जारी किया गया था। हालाँकि ठेकेदार द्वारा स्थापना नहीं की गई थी। मामला मध्यस्थता के अधीन था। ठेकेदार ने 18,59,593 यूरो (31.03.2024 को लगभग ₹ 16.78 करोड़ के बराबर ₹ 90.2178 प्रति यूरो) का दावा दायर किया और नैट्रिप ने ₹ 17.82 करोड़ और 43,69,722.19 यूरो (31.03.2024 को लगभग ₹ 57.24 करोड़ के बराबर @ ₹ 90.2178 प्रति यूरो) का प्रतिदावा दायर किया है। मध्यस्थता ने आंशिक रूप से मेसर्स किस्टलर के पक्ष में फैसला सुनाया। सोसायटी ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

छ) नैट्रिप ने आईकैट मानेसर में 'ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक और संबंधित कार्यों के निर्माण' का कार्य ₹ 27,88,09,895/- के अनुबंध मूल्य पर 29.04.2011 को मेसर्स सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड को 17.06.2012 की पूर्णता तिथि के साथ दिया। अनुबंध के तहत कुछ विवाद के कारण, 24.10.2016 को मध्यस्थता शुरू की गई थी। हालांकि, मेसर्स सुप्रीम द्वारा न्यायाधिकरण की फीस का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, 07.11.2017 को मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का जनादेश भी 23.10.2017 को समाप्त हो गया था और आगे कोई विस्तार नहीं दिया गया था। तीन साल बाद मेसर्स सुप्रीम ने कार्यवाही को पुनर्जीवित करने के लिए 02.11.2020 को एक आवेदन दायर किया। 20.10.2022 को, उच्च न्यायालय ने अनुमति दी कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण आगे की कार्यवाही करने में सक्षम हो सकता है। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध, सोसायटी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया। 27.02.2023 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया और छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया। छह सप्ताह की समाप्ति तक, मेसर्स सुप्रीम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, यहाँ तक कि बैलेंस शीट की तारीख तक भी मेसर्स सुप्रीम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

ज) नैट्रिप ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन से पहले वर्ष 2017 में ₹ 578.79 करोड़ की मूल अनुबंध मूल्य राशि के साथ नैट्रैक्स में हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक (एचएसटी) में शेष कार्यों के निर्माण के लिए मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो के साथ एक अनुबंध किया था। यह कार्य वर्ष 2020 में पूरा हुआ, तदनुसार जीएसटी की अतिरिक्त मांग को

छोड़कर, जीएसटी (कानून में बदलाव के कारण) के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सहमत संशोधित लागत के अनुसार अंतिम भुगतान किया गया है। हाल ही में, ठेकेदार ने 39.08 करोड़ रुपये की जीएसटी राशि की अतिरिक्त मांग के लिए मध्यस्थता दायर की है। सोसायटी ने विचलन, क्षति, राजस्व की हानि आदि के लिए ₹ 22.95 करोड़ की काउंटर दावा राशि भी दायर की है। इस दावे के खिलाफ खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि मामला मध्यस्थता के अधीन है।

झ) नैट्रिप ने वर्ष 2015 में ₹ 55.07 करोड़ की अनुबंध राशि के साथ जीएआरसी में एपीएसएल भवन के निर्माण के लिए मेसर्स पी एंड सी प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड के साथ अनुबंध किया था। हाल ही में, ठेकेदार मध्यस्थता की ओर अग्रसर है।

ञ) आईकैट सेंटर के भूतपूर्व कर्मचारी श्री राकेश गर्ग ने पुनः नियुक्ति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है तथा ₹ 10 लाख के मुआवजे का दावा किया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई है।

ट) सोसायटी के एक प्रभाग आईकैट ने ऋण पत्र जारी करने के लिए बैंक के पक्ष में ₹ 19.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 20.63 करोड़) की सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार बनाया है।

23. अग्रिम, सुरक्षा जमा, देनदार और विभिन्न प्राप्य एवं लेनदारों और विभिन्न देय राशियों की शेष राशि पुष्टि और समाधान के अधीन है।

24. भुगतान किए गए/देय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सहित वैधानिक देयताएं (शुल्क और कर) विभिन्न वैधानिक रिटर्न फील्ड के साथ समाधान के अधीन हैं, वित्तीय विवरणों पर ऐसे समाधान का कोई भौतिक प्रभाव नहीं है।

25. वर्तमान आंकड़ों को अधिक तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत, पुनः व्यवस्थित और पुनः ढाला गया है।

हमारी संलग्न समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(सीए. मुकेश छाजेड़)	**प्रबंधक वित्त**	**निदेशक (एम एच आई)**	**सीसीए, एम एच आई**
एम. नं.: 096778	**एनएबी**	**एवं लुकिंग आफ्टर**	**एवं लुकिंग आफ्टर**
यूडीआईएन: 24096778BKCZCH7125		**निदेशक एफपीसीएएल, एनएबी**	**कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी**

दिनांक: 10-07-2024
स्थान: नई दिल्ली

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF THE NATIONAL AUTOMOTIVE BOARD, MANESAR FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

We have audited the attached Balance Sheet of National Automotive Board (NAB) as at 31 March 2024, and the Income and Expenditure Account and Receipt and Payment Account for the year ended on that date, under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Clause 21.3 of the Rules & Regulations (Bye-laws) of the National Automotive Board. The Audit of the Board has been entrusted to the Comptroller and Auditor General of India for the period up to 2025-26. These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment with respect to classification, conformity with best accounting practices, accounting standards and disclosure norms. Other significant audit observations with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency cum performance aspects etc. are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with the accounting standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. Audit includes examining on test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Government for Central Autonomous Bodies.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by National Automotive Board as required under Clause 21.2 of the Rules and Regulations of the Board in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

Comments on Accounts

A. Balance Sheet

A.1 Fixed Assets (Schedule-8)

A.1 NATRIP Project (Grant) Fund (Schedule 8B): ₹ 1,299.54 crore

NAB (erstwhile NATRIP) acquired (October 2006) Land from State Industries Promotion Corporation of Tamilnadu Limited (SIPCOT) on 99 years lease for Global Automotive Research Centre (GARC) at Chennai and paid an amount of ₹64.79 crore to SIPCOT. It also incurred ₹0.08 crore towards land acquisition charges. Lease Deed was signed on 6 November 2020.

In this regard, reference is invited to Para 18 of AS-19 (Leases), which, inter-alia, stipulates that, a finance lease gives rise to a depreciation expense for the asset as well as a finance expense for each accounting period. If there is no reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, the asset should be fully depreciated over the lease term or its useful life, whichever is shorter.

As there are no documents/evidence to establish that NAB will obtain the ownership of the land, the aforesaid amount of ₹64.87crore (₹64.79 crore plus ₹0.08 crore) should be amortised over the lease term or useful life of the Land, whichever is shorter.

Further, NAB acquired (February 2006) Land at Silchar (Assam) on 'Patta' for an initial period of 25 years, for setting up National Institute for Automotive Inspection Maintenance & Training (NIAIMT) and made a total payment of ₹0.18 crore. However, no amortization of the amount paid has so far been made in the books of accounts.

Non-amortisation of the amount paid towards Leasehold Land has resulted in understatementl of depreciation and overstatement of Land (leasehold). Consequently, Excess of Income over expenditure is also overstated. Further, NAB has not framed/disclosed any policy on amortisation of lease payment.

B. Grant-in-Aid

The position of receipt and utilisation of grants-in-aid by NAB during the year 2023-24 was as under:

[1] Audit is unable to quantify the amount of understatement or overstatement in absence of details of payments made to SIPCOT.

(₹ in lakh)

Particulars	NATRIP & ICAT Grant	Establish-ment and Infra Grant	DIDM Grant	DCAAI[2]-Nodal Agency Fund	Total
Balance as on 1-April 2023	1,341.89	1,028.78	285.33	208.99	2,864.99
Grants received during the year	-	-	-	-	-
Grants refunded	1,290.89	-	-	-	1,290.89
Grants utilised during the year	37.00	17.58	50.83	143.94	249.35
Balance as on 31 March 2024	**14.00**	**1,011.20**	**234.50**	**65.05**	**1,324.75**

Besides NAB earned interest of ₹1.58 crore on grants during the year 2023-24.

C. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of NAB through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in **Annexure-I** to this Audit Report, give a **true and fair** view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

[2] Development Council for Automobiles and Allied Industries

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Automotive Board, Manesar as at 31 March 2024; and

b) In so far as it relates to Income and Expenditure account, of the Excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Place: New Delhi
Dated: 09 MAY 2025

(S. Ahlladini Panda)
Director General of Audit
Industry & Corporate Affairs
New Delhi

Annexure I to Separate Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System

NAB did not have an internal audit wing during the financial year 2023-24. However, the internal audit has been carried out by M/s Manoj Mohan & Associates, Chartered Accountants.

2. Adequacy of Internal Control System

The internal control system in NAB was inadequate and not commensurate with the size of the organization as it did not have a recruitment policy and rules for personnel management during FY 2023-24.

3. System of physical verification of Fixed Assets

Physical verification of fixed assets was carried out during the FY 2023-24.

4. System of physical verification of inventory

Physical verification of Inventory was carried out during the FY 2023-24.

5. Regularity in payment of statutory dues

NAB was regular in payment of undisputed statutory dues during the FY 2023-24.

9/5/25

Director (AMG-III)

एनएबी का स्पष्टीकरण वित्तीय वर्ष 2023-24

क्र. सं	सीएंडएजी की टिप्पणियां	एनएबी का स्पष्टीकरण
क.1	**अचल संपत्तियां (अनुसूची-8)** एनएबी (पूर्ववर्ती नैट्रिप) ने चेन्नई में ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (जीएआरसी) के लिए 99 साल के पट्टे पर तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम लिमिटेड (सिपकोट) से भूमि अधि ग्रहित की (अक्तूबर 2006) और सिपकोट को ₹64.79 करोड़ की राशि का भुगतान किया। भूमि अधिग्रहण शुल्क के रूप में इसने ₹0.08 करोड़ भी खर्च किए। लीज डीड पर 6 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे. इस संबंध में, एएस-19 (लीज) के पैरा 18 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित किया गया है कि, वित्तीय लीज से परिसंपत्ति के लिए मूल्यह्रास व्यय के साथ-साथ प्रत्येक लेखा अवधि के लिए वित्त व्यय भी उत्पन्न होता है। यदि इस बात की कोई उचित निश्चितता नहीं है कि पट्टेदार को पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा, तो परिसंपत्ति का पट्टे की अवधि या उसके उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर पूर्णरूप से मूल्यह्रास किया जाना चाहिए। चूंकि यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज/ साक्ष्य नहीं हैं कि एनएबी भूमि का स्वामित्व प्राप्त करेगा, इसलिए ₹64.87 करोड़ (₹64.79 करोड़ प्लस ₹0.08 करोड़) की उपरोक्त राशि को भूमि के पट्टे की अवधि या उपयोगी जीवन- जो भी कम हो, पर परिशोधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एनएबी ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑटोमोटिव इंस्पेक्शन मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग (नियामित) की स्थापना के लिए 25 साल की शुरुआती अवधि के लिए पट्टे पर सिलचर (असम) में जमीन का अधिग्रहण किया (फरवरी 2006) और कुल ₹0.18 करोड़ का भुगतान किया। हालाँकि, भुगतान की गई राशि का कोई परिशोधन अभी तक खातों की पुस्तकों में नहीं किया गया है।	नैट्रिप परियोजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजना थी, जो पूंजीगत व्यय की प्रकृति की थी। एनएबी की लेखा नीति के अनुसार व्यय किए गए अनुदान को अचल संपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है: "सोसायटी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को उनके अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया गया है, जिसमें माल ढुलाई, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं, जो परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील बनाने के लिए किए गए हैं।" (लेखांकन नोट्स और आकस्मिक देयताओं की अनुसूची संख्या 24 के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की क्रम संख्या 3 देखें) 25.10.2006 को सिपकोट द्वारा जीएआरसी को नैट्रिप परियोजना के तहत ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना के लिए ₹ 56.56 करोड़ की लागत से 99 वर्षों के लिए ₹100 के नाममात्र पट्टे के किराए के साथ भूमि आवंटित की गई थी। इसे अगले 99 वर्षों की समान अवधि के लिए नवीनीकरण परस्पर सहमति, अनुबंधों और प्रावधानों के प्रचलित निति के अनुसार दिया जा सकता है। भूमि को सरेंडर करने की स्थिति में, सिपकोट द्वारा जीएआरसी को प्लॉट की लागत वापस कर दी जाएगी। **पट्टा समझौते के प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नानुसार हैं:** *2.1 पट्टाकर्ता द्वारा किए गए भूखंड के आवंटन के प्रतिफल स्वरूप, पट्टाधारक ने भूखंड की लागत के रूप में ₹ 56,55,61,000/- (छप्पन करोड़, पचपन लाख और इकसठ हजार रुपए मात्र) का भुगतान किया है।* *2.2 प्लॉट की कीमत ₹ 56,55,61,000/- (छप्पन करोड़, पचपन लाख और इकसठ हजार रुपये मात्र) लीज अवधि की समाप्ति पर वापस नहीं की जाएगी।* *2.3 पट्टेदार ने वार्षिक पट्टा किराया के 100% के रूप में ₹100/- (केवल एक सौ रुपये) का अग्रिम भुगतान किया है। वार्षिक पट्टा किराया 98 वर्षों के लिए प्रति वर्ष एक रुपये और 99वें वर्ष के लिए ₹2 के हिसाब से गणना की जाती है।* *2.8 पट्टेदार समझता है और सहमत है कि आवंटन आदेश में निर्धारित भूखंड की लागत केवल अस्थायी है, पट्टादाता आवंटन आदेश में निर्धारित भूखंड के लिए देय राशि को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि पट्टादाता को अधिग्रहित भूमि के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा देना पड़ता है या किसी अन्य कारण से ऐसा संशोधित भूखंड लागत पट्टादाता के पक्ष द्वारा भुगतान किया जाएगा।*

	लीजहोल्ड भूमि के लिए भुगतान की गई राशि का परिशोधन न किए जाने के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास को कम करके दिखाया गया है और भूमि (लीजहोल्ड) को अधिक दिखाया गया है। परिणामस्वरूप, व्यय की तुलना में आय की अधि कता भी अधिक दिखाई गई है। इसके अलावा, एनएबी ने लीज भुगतान के परिशोधन पर कोई नीति नहीं बनाई/प्रकट नहीं की है ।	*3.1 पट्टेदार ने उक्त आवंटित भूखंड पर प्रवेश किया और कब्जा ले लिया, जिसके बदले में पट्टेदार ने भूखंड की लागत का 100%, वार्षिक पट्टा किराया चुकाया है।* *11.4 इस तरह के समर्पण पर, पट्टादाता को पट्टादाता की मौजूदा समर्पण नीति के अनुसार गणना करके भुगतान करना होगा। भूखंड में निर्मित भवन या अन्य संरचना के सुधार के लिए पट्टादाता द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।* *13.1 पट्टाकर्ता, पट्टाधारक के अनुरोध और लागत पर, 99 वर्ष की उक्त अवधि के अंत में, 99 वर्ष की समान अवधि के लिए नवीकरण के माध्यम से अनुसूची में उल्लिखित भूखंड का एक नया पट्टा निष्पादित कर सकता है, ऐसे अनुबंधों और प्रावधानों पर जो परस्पर सहमत हो सकते हैं या प्रचलित नीति के अनुसार हो सकते हैं।* *तदनुसार, प्लॉट की लागत, नाम मात्र पट्टा किराया, अन्य पूंजीकरण लागत अर्थात भूमि के सर्वेक्षण की लागत, वन भूमि की लागत और स्टांप ड्यूटी पंजीकरण शुल्क आदि की लागत सहित कुल लागत ₹65.20 करोड़ को पूंजीकृत किया गया है और इसे अचल संपत्तियों (परियोजना संपत्ति) के तहत भूमि के रूप में दिखाया गया है।* *लागू मूल्यह्रास नीति के अनुसार (आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरें - लेखा और आकस्मिक देनदारियों के लिए नोट्स की अनुसूची संख्या 24 के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की क्रम संख्या 4 देखें), भूमि गैर-मूल्यह्रास योग्य संपत्ति है।* **पट्टे पर लेखांकन मानक (एएस)-19 के प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैं:** *पैरा 3.2 के अनुसार, वित्त पट्टा एक ऐसा पट्टा है जो किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व में होने वाले सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक स्थानांतरित कर देता है.* *पैरा 6 के अनुसार, यदि कोई पट्टा स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है, तो उसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। शीर्षक अंततः स्थानांतरित हो भी सकता है और नहीं भी। यदि कोई पट्टा स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है, तो उसे परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।* हालाँकि, एएस-19 के पैरा 1 (सी) के अनुसार, इस मानक को भूमि के उपयोग के लिए पट्टा समझौते के अलावा अन्य सभी पट्टों के लेखांकन में लागू किया जाना चाहिए। उपरोक्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर, उपरोक्त लेखापरीक्षा अवलोकन को छोड़ने का अनुरोध किया जाता है, क्योंकि उपरोक्त लेखांकन लागू मानकों, लेखांकन नीति के अनुरूप है और 99 वर्षों के लिए ₹100 नाममात्र पट्टा

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>किराया के साथ ₹56.56 करोड़ की लागत वाले भूखंड पर आवंटित भूमि के लिए पट्टा समझौते के अनुसार है।

इसके अलावा, एनएबी ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑटोमोटिव इंस्पेक्शन मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग (नियामित) की स्थापना के लिए 25 साल की शुरुआती अवधि के लिए सिलचर (असम) में 'सरकारी पट्टे' पर भूमि अधिग्रहित की (फरवरी 2006) और सोसायटी की लेखा नीति के अनुरूप भूमि लागत और अन्य भूमि विकास लागत सहित कुल लागत ₹0.18 करोड़ का पूंजीकरण किया। 17.02.2006 को उक्त भूमि औपचारिक रूप से सौंप दी गई और कछार में क्षेत्रीय वाहन प्रबंधन और विशेष प्रशिक्षण असम के प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य से भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया गया।

"पट्टा" की शर्तों के अनुसार, सोसायटी के पास इच्छित उद्देश्य के लिए भूमि का विशेष अधिकार है। स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ हस्तांतरित कर दिए गए हैं और नियामित के पास निहित हैं।

हालाँकि, सीएंडएजी के सुझाव और लेखा परीक्षा समिति के निर्देश के अनुसार, सोसायटी ने वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक खातों में दोनों भूमि के लिए पट्टे के भुगतान के परिशोधन पर उपयुक्त नीति का उल्लेख किया है।</td>
</tr>
<tr>
<td>ख.</td>
<td>अनुदान सहायता:

वर्ष 2023-24 के दौरान एनएबी द्वारा अनुदान सहायता की प्राप्ति और उपयोग की स्थिति निम्नानुसार थी

(₹ लाख में)
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>नैट्रिप और आईकैट अनुदान</th><th>स्थापना और अवस-रचना अनुदान</th><th>डी आईडी एम अनुदान</th><th>डीसी एएआई नोडल एजेंसी फंड</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि</td><td>1,341.89</td><td>1,028.78</td><td>285.33</td><td>208.99</td><td>2,864.99</td></tr>
<tr><td>वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदा</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>अनुदान वापस किया गया</td><td>1,290.89</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,290.89</td></tr>
<tr><td>वर्ष के दौरान उपयोग किये गये अनुदान</td><td>37.00</td><td>17.58</td><td>50.83</td><td>143.94</td><td>249.35</td></tr>
<tr><td>31 मार्च 2024 तक शेष राशि</td><td>14.00</td><td>1,011.20</td><td>234.50</td><td>65.05</td><td>1,324.75</td></tr>
</table>
</td>
<td>नोट कर लिया</td>
</tr>
</table>

	इसके अलावा, एनएबी ने वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान पर ₹1.58 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।	
ग	**प्रबंधन पत्र** वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक **सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण** देता है।	नोट कर लिया

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक 1

1	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एनएबी के पास आंतरिक लेखा परीक्षा विंग नहीं थी। हालाँकि, आंतरिक लेखा परीक्षा मेसर्स मनोज मोहन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा की गई है।	आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म द्वारा की जाती है। वर्ष 2023-24 में, मेसर्स मनोज मोहन एंड एसोसिएट्स एनएबी के आंतरिक लेखा परीक्षक थे, जिसमें इसके परीक्षण केंद्र भी शामिल थे। वित्त वर्ष 2024-25 से, लेखा परीक्षा समिति की 12.07.2024 को हुई 7वीं बैठक के निर्देशानुसार, प्रत्येक परीक्षण केंद्र द्वारा अलग-अलग आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। विवरण अनुलग्नक-1 में संलग्न हैं। इसके अलावा, 03.02.2025 को आयोजित अपनी 12वीं बैठक में ऑडिट कमेटी ने सभी परीक्षण केंद्रों को एक आंतरिक ऑडिट विंग (IAW) बनाने का निर्देश दिया था। तदनुसार, सभी परीक्षण केंद्रों ने आंतरिक जांच और संतुलन की देखभाल के लिए एक आईएडब्लू बनाया है।
2	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** एनएबी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी और संगठन के आकार के अनुरूप नहीं थी क्योंकि इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कार्मिक प्रबंधन के लिए भर्ती नीति और नियम नहीं थे।	एमएचआई के दिनांक 17.03.2021 के आदेश के अनुसार, एनएबी ने नैटिस को अपने अधीन ले लिया। अधिदेश के अनुसार, एनएबी ने सचिवालय नैटिस के सहयोग से अपना संचालन शुरू किया और नैटिस के तहत बनाए गए जीएआरसी, नैट्रेक्स, आईकैट जैसे केंद्रों का प्रशासन किया। अब, एकीकरण के बाद, नैटिस (रेफर ट्रांसफरर सोसाइटी) के ये कर्मचारी अब एनएबी (रेफर ट्रांसफरी सोसाइटी) के कर्मचारी हैं। वर्तमान में, एनएबी के संचालन को और अधिक समर्थन देने के लिए, तीन (3) कार्यात्मक सदस्य, एनएबी के पद और पांच (5) निदेशक, एनएबी के पद का अतिरिक्त प्रभार एमएचआई में तैनात अधिकारियों को सौंपा गया है। भर्ती नीति के संबंध में, सोसायटी की भर्ती नीति और नियम तैयार करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई है। इसके अलावा, 01.07.2024 को आयोजित अपनी छठी बैठक में लेखापरीक्षा समिति के निर्देशानुसार, सभी एनएबी परीक्षण केंद्रों के लिए लेखा शीर्षों, नीति और प्रक्रियाओं में एकरूपता के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है और उसे अपनाया गया है, जो केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा निर्धारित खातों के एकरूप प्रारूप के अनुरूप है। एसओपी को लेखापरीक्षा टीम के साथ भी साझा किया गया है
3	**अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।	नोट कर लिया
4	**रहतिया के भौतिक सत्यापन की प्रणाली** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रहतिया का भौतिक सत्यापन किया गया।	नोट कर लिया
5	**वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता** एनएबी 2023-24 के दौरान निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमित रहा।	नोट कर लिया

आंतरिक लेखा परीक्षकों का केंद्रवार विवरण निम्नानुसार है:

अनुलग्नक-1

क्रम सं.	परीक्षण केंद्र	आंतरिक लेखापरीक्षा फर्म का नाम
1	अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईकैट), मानेसर, हरियाणा	प्राइस वाटर हाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी)
2	ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (जीएआरसी), चेन्नई, तमिलनाडु	रेवंत एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
3	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स (नैट्रेक्स), इंदौर, मध्य प्रदेश	माहेश्वरी एवं गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट

NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

(भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत समिति)

पंजीकृत कार्यालय : कमरा न.-123 सी, उद्योग भवन,
भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली-110011

कॉर्पोरेट कार्यालय: द्वितीय तल, प्रशासनिक भवन, अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीएटी) कैंपस-II, सेक्टर-11, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122051
दूरभाष: +91-124-6900000

Xtreme Office Aids (P) Ltd. # +91 783 806 6880